विवरणिका

सत्रम् 2019–20

प्रकाशकः

कुलसचिवः

उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

मूल्यम् : 100 रूप्यकाणि

पत्रालयद्वारा : 150 रूप्यकाणि

उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

हरिद्वार–दिल्लीराष्ट्रियराजमार्गः,

पत्रालयः– बहादराबादम्, हरिद्वारम्

पिनसंख्या–249402

जालपुटम् www.usvv.ac.in

उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

कुलगीतम्

यथादेवभूम्युद्भवा दिव्यगंगा,
सुधाधारया लोकमेतं पृणाति।
तथा मोदयन् विद्यया विश्वमेतत्,
सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।1

ऋषीणां मुनीनां सुराणां कवीनां,
सतां साधनाद्यैः पवित्रात्मनां च।
सुरक्षन्नमूल्यं निधिं धीधनानां,
सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।2

स्वदेशीयभाषासुवेषाद्युपेतं,
निजं संस्कृतं संस्कृतिं सेवमानः।
स्वसत्कर्मभिः सर्वकल्याणकारी,
सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।3

कलाज्ञानविज्ञानविद्याविभूति-
प्रवाहप्रतानैकनिष्ठो वरिष्ठः।
समारूढसन्मार्ग-शिष्टानुयायी,
सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।4

सदा भावयन् विश्वबन्धुत्वभावं
किरन्नद्वयस्नेहसिक्तस्वभावम्।
प्रणाश्य प्रजादुःखदारिद्र्यदावं,
सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।5

दृढं खण्डयन् चण्डपाखण्डभाण्डं
समुद्घाटयन् शाश्वतं सत्यतत्त्वम्।
स्वभानाभया भासयन् भव्यभानुः,
सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।6

यशोवीरतापौरुषाद्यर्थमत्र
प्रजाः प्रेरयन् दुर्गुणानां कृशानुः।
हृदा भारतीयत्त्वसम्पादकश्च,
सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।7

मदद्वेषरागादिरूपान्धकारे,
नवीनां दिशां दर्शयन्नात्मदृष्ट्या।
सुरम्योत्तराखण्डमायापुरीस्थः,
सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।8

क्रम संख्या-56

पंजीकृत संख्या-यू०ए०/बी०एन०-30/03
(लाईसन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 21 अप्रैल, 2005 ई०
बैशाख 01, 1027 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 486/ विधायी एवं ससदीय कार्य/2005

देहरादून, 21 अप्रैल, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर श्री राज्यपाल ने दिनांक 20-04-2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराचंल अधिनियम संख्या 17, सन् 2005 के रुप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005

(अधिनियम सं० 17, वर्ष 2005)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,.....संक्षिप्त नाम
1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005.....एवं प्रधान कहा जायेगा।

(2) यह उस तारीख.....

मूल अधिनियम — 2– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, या संशोधन 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001), जिसे यहां मूल अधिनियम कहा गया है, में जहा–जहां "सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय" शब्द आते है, वहां उन शब्दों के स्थान पर "उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार" शब्द रखे जायेंगे।

आज्ञा से,
आई० जे० मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव

No, 488/Vidhayee & Sansadiya karya/2005
Dated Dehradun, april 21,2005
NOTIFICATION
Mlacellaneous

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the India the Governor is pleased to order the publication of the following English of The Uttaranchal (The Utter Pradesh State University Act, 1973)(Adaptation and Modification Order, 2001)(third Amendment)Bill, 2005 (Uttaranchal Adhinlyam Sankhya 17 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative and assented and assented to by the Governor on 20-04-2005.

THE UTTRANCHAL (THE UTTER PRADESH STATE UNIVERCITY ACT, 1073)(ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2001)(THIRD AMENDMENT)

ACT,2005
(Act no. 17 of 2005)

Further to amend the Uttaranchal (The Utter Pradesh State University Act, 1973) (Adaptation and Modification Order, 2001)

AN
ACT

Be it enacted by the state Assembly of Uttaranchal in the Fifty-sixth year of the Republic of India as follows:-

Short UUe & Commencement — **1- (1)This Act may be the called The Uttaranchal (The Utter Pradesh State University Act, 1973)(Adaptation and Modification Order, 2001)(third Amendment)Bill, 2005 (Uttaranchal Adhinlyam Sankhya 17 of 2005).**

2- It shall come into force on such date as the State date as the State Government may , b notification in the official Gazette appoint.

Amendment — **2- In The Uttaranchal (The Utter Commencement Pradesh State University Act, 1973)(Adaptation and Modification Order, 2001), herein after referred to as principal Ac Wherever the expression "Sampurnanand Sanskrit University" occurs, the word Uttaranchal Sanskrit University, Haridwar shall be substituted.**

By. Order,
I.J. MALHORA
Principal Secretor

पी०एस०यू० (आर०ई०)18 विधायी / 158–2006–83+300 (कम्प्यूटर / कीजियी)।

No.F. 9-6/2006 (cpp-1) **Notification**

A new University named as Uttrakhand Sanskrit University, Haridwar has beer established by Acct No. 486/ Vidhi and Sansadiya karya 2005. Dehradun. Dated 21-4-2005 of State Government of Uttrakhand and notification through the State Gazette vide Notification on No 727/11-2005-13(05)/03 dated 24th October,2005. The said university has been includes in the list of universities maintained by the University Grants Commission. Section-2(1)of the UGC Act. 1965.

However, the above University , shall not be eligible to receive any assistance from University Grants Commission and any other source funded by the Government of the includes the University is declared fit to receive central assistance under Section 12 (B) of UGC Act.1956.

(C.K)
Deputy Secretary

Copy to:-

1- **The Vice-Chancellor, Higher Education Sanskrit University, Haridwar-249401 (Uttrakhand)**
2- **The Secretary, Government of India Ministry of Human Resouree Development (Department of Secondary & Higher Education), Shastri Bhavan. New Delhi-110001.**
3- **The Secretary Higher Education, Higher Education Dehradun.**
4- **The Secretary General, Assessment of India University, 16 kotla marg New Delhi- 110002.**
5- **Director. (NASS) National Assessment and Accreditation Council (NASS)Banglaore-560010**
6- **The Director Medical Council of India, kotla Road New Delhi- 110002.**
7- **The Secretary Union public Service Commission, Shahajahan Road New Delhi- 110001.**
8- **The Joint Secretary. (SU) UGC, New Delhi.**
9- **Senior Statiaticul Officer, UGC, 35 Ferozshah Road New Delhi- 110001.**
10- **Publication Officer. (Web-site), UGC , New Delhi.**
11- **Section Officer (Mecting Section), UGC , New Delhi.**
12- **All Regional Officer, UGC. New Delhi.**
13- **All Section of the UGC, New Delhi.**
14- **D.P.T. Cell, UGC, New Delhi.**
15- **Guard file.**
16- **F. 9-4/2004 (CPP-I).**

(Mrs. Urmil Galatl)
Under Secretary

विषयानुक्रमणिका

क्रम	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	कुलपतिमतम्	07–08
2.	विश्वविद्यालय का परिचय	09–12
3.	वेदविभाग	13
4.	व्याकरण विभाग	14
5.	ज्योतिष विभाग	15
6.	साहित्य विभाग	16
7.	दर्शन विभाग	16
8.	शिक्षाशास्त्र विभाग	17
9.	योगविज्ञान विभाग	18
10.	संगणक विज्ञान विभाग	18
11.	हिन्दी एवं भाषा विज्ञान विभाग	19
13.	पत्रकारिता विभाग	20
14.	पुस्तकालय विज्ञान विभाग	20
16.	राष्ट्रीय सेवा योजना	21
17.	उद्देश्य	22–23
18.	संचालन संरचना	24–25
19.	विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्य	24–25
20.	भावियोजना	26–27
21.	कार्यकारी संरचना	26–27
22.	विभागों का परिचय	28.–29
23.	महत्त्वपूर्ण तिथियाँ	30–31
24.	शैक्षिक दिवस एवं अवकाश सूची	32–33
25.	शासकीय अवकाश सूची	34–35
26.	प्रवेश नियम	36–38
27.	प्रवेश के लिए अपेक्षित प्रमाण पत्र	39
28.	प्रतीक्षकों का प्रवेश एवं विशेष सूचना	40
29.	संचालित पाठ्यक्रम एवं शुल्क विवरण	41–53
30.	सुरक्षित धनराशि और आचार संहिता	54
31.	छात्र कल्याणपरिषद् एवं परिधान	54
32.	अनुशासन और आचार संहिता	55–56
33.	रैगिंग निषेध	57–58
34.	उपस्थिति और अवकाश सम्बन्धी नियम	59
35.	छात्रवृत्ति एवं दिव्यांग / आकस्मिक दुर्घटना में घायल छात्रों के लिए लेखक व्यवस्था	60
36.	पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप	61–62
37.	छात्रों को प्रदेय सुविधाएँ	63–64
38.	विश्वविद्यालय की समितियाँ	65
39.	सम्बद्ध महाविद्यालयों की सूची	66–67
40.	विश्वविद्यालय में संचालित / संभावित पाठ्यक्रम	68
41.	अधिकारी एवं समूह 'ग' एवं 'घ' कर्मचारियों की सूची	69–70
42.	योगाचार्य (एम.ए.) प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम	71
43.	परिशिष्ट संलग्न–1. प्रवेश आवेदन पत्र, 2. परिचय पत्र पारूप, 3. एण्टी रेगिंग शपथ–पत्र	

कुलपतिमतम्

अस्मादेव देवभूभागाद् यथा निर्गता निरुपमपरमपूतपुण्यपया भगवती भागीरथी निखिलमपि चराचरमधिवसुधं सुधाधारया कृतार्थयति, तथैव परमकारुणिकाप्रतिमप्रतिभदिव्यदृगधिगतयाथातथ्यपरमोदारहृदयास्मदृषिमुनिप्रभृतिपूर्वजैः सकलवास्तवसौख्यसमीहया महीयोभिस्तपोभिः प्रत्यक्षीकृताया अनुपमविविधानवद्यविद्या–सुधाया अविच्छिन्नधारया निखिलमपि जगदाप्लावयितुं ज्ञानगंगापि इतः प्रवहेदिति धिया विश्वाशेषसंस्कृतिप्राणभूतायाः प्राचीनतमायाः सर्गस्य प्रथमायाः भारतीयसंस्कृतेः तदाश्रयभूतसंस्कृतस्य संस्कृतवाङ्मयप्रतिपाद्यप्राच्यार्वाच्याखिलविद्याकलाज्ञानविज्ञानादेश्च संरक्षण– संवर्धन– प्रोत्साहन––प्रचारप्रसाराद्यर्थं भारतसर्वकारीयसंस्कृतायोगस्य (1956–57 ईसवीयवर्षस्य) अनुशंसानुसारेण उत्तराखण्डसर्वकारद्वारा पंचाधिकद्विसहस्रतमखैस्टाब्दस्य अप्रैलमासस्य एकविंशे (21–04–2005) दिनांके विश्वविद्यालयोऽयं संस्थापितः। तस्मात् स्वस्थापनासमयादेव ससमर्पणं संस्कृतं संस्कृतिं च सेवमान एष विश्वविद्यालयो विभिन्नेषु संस्कृतसंस्थानेषु शिरोमुकुटमणिरिव राराज्यमानः सन्नुत्तरोत्तरं स्वसमीहितं (स्वलक्ष्यं) साधयन् समेधमानो दरीदृश्यते। अत्र प्राचीनार्वाचीनविभिन्नविषयेषु शास्त्रि–आचार्य–उपाधि (डिप्लोमा)–विशिष्टाचार्य–विद्यावारिधिप्रभृतयः विभिन्नाः पाठ्यक्रमाः संचाल्यन्तेऽधुना। अन्येष्वपि विभिन्नविषयेषु विभिन्नपाठ्यक्रमाः प्रस्ताविता विद्यन्ते। भागीरथीपावनपुलिने रमणीयोद्यानपरिसरादिविभूषितेऽस्मिन् विश्वविद्यालये यथाकालं यथापेक्षं च छात्रहितादिप्रमुखा अन्येऽपि नैकविधाः कार्यक्रमा अनुष्ठीयन्ते, यैः छात्राणां समग्रविकासो भवेदिति। विश्वविद्यालयस्य तत्संचालितपाठ्यक्रमादीनां च विवरणं भवतां जिज्ञासूनां बोधसौकर्याय एतद्विवरणिकामाध्यमेन प्रस्तूयते। अनेन प्रविष्टानां प्रविविक्षूणां च विद्यार्थिनां महान् लाभः सेत्स्यतीति मदीयो द्रढीयान् विश्वासो वर्तते। अतो विश्वविद्यालयेऽस्मिन् प्रवहन्त्यां ज्ञानगंगायां गहनावगाहनाय प्रवेशमीप्सूनां स्वागतं व्याहरन्, विश्वविद्यालयीयोद्देश्यसम्पूर्तये समर्पितेभ्यः समस्तेभ्यः अध्यापकेभ्यः अधिकारिभ्यः कर्मचारिभ्यश्च धन्यवादान् वितन्वन् समेषां मंजुमंगलं कामयमानश्चेहैव निजवाग्व्यापारमुपरमयामि।

प्रो. देवीप्रसादत्रिपाठी

कुलपतिः

उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः

हरिद्वारम्।

कुलपति का मत

जैसे इस देवभूमि से निकल कर अनुपम परमपवित्र एवं पुण्यसलिला भगवती गंगा इस धरती पर समस्त चराचर को अपनी सुधाधारा से उपकृत करती है उसी प्रकार परमकारुणिक, अद्वितीय प्रतिभा व दिव्यदृष्टि सम्पन्न, अधिगतयाथातथ्य, परमोदारहृदय ऋषिमुनि आदि जो हमारे पूर्वज हैं, उनके द्वारा वास्तविक समस्त सुख प्राप्त कराने की इच्छा से महत्तम तपों के माध्यम से प्रत्यक्षीकृत अनेक प्रकार की प्रशस्त विद्यारूप सुधा की अविच्छिन्न धारा से समस्त जगत् को आप्लावित करने के लिये ज्ञानगंगा भी यहीं से प्रवाहित हो इसके लिये, तथा विश्व की समस्त संस्कृतियों की प्राणभूत प्राचीनतम, सृष्टि की पहली संस्कृति (भारतीय संस्कृति), संस्कृत एवं संस्कृत वाङ्मय प्रतिपाद्य प्राचीन–नवीन समस्त विद्या, कला, ज्ञान, विज्ञान आदि के संरक्षण, संवर्धन प्रोत्साहन प्रचार–प्रसारादि के लिये भारत सरकार के संस्कृत आयोग की अनुशंसा के अनुरूप उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 21 अप्रैल, 2005 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अपने स्थापना काल से ही पूर्ण समर्पण के साथ संस्कृत एवं संस्कृति की सेवा करता हुआ यह विश्वविद्यालय विभिन्न संस्कृत संस्थानों में शिरोमुकुटमणि की तरह चमकता हुआ उत्तरोत्तर अपने लक्ष्य को सिद्ध करता हुआ आगे बढ़ता दिख रहा है। प्राचीन एवं अर्वाचीन विभिन्न विषयों में शास्त्री (बी.ए.) आचार्य (एम.ए.) उपाधि (डिप्लोमा) विशिष्टाचार्य (एम.फिल्.) विद्यावारिधि (पीएच.डी.) आदि विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। अन्य विभिन्न विषयों में भी पाठ्यक्रम प्रस्तावित हैं। भागीरथी के पावन तट पर विराजमान रमणीय उद्यान परिसर आदि से विभूषित इस विश्वविद्यालय में यथाकाल अपेक्षानुसार छात्रहित में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं जिनसे छात्रों का समग्र विकास हो सके। विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम आदि का विवरण आप जिज्ञासुओं के बोधसौकर्य हेतु इस विवरणिका के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे प्रविष्ट एवं प्रथमवार प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों का महान् लाभ होगा ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इसलिए इस विश्वविद्यालय में प्रवाहित हो रही ज्ञानगंगा में गहन अवगाहन हेतु प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों का स्वागत करता हूँ। विश्वविद्यालय की उद्देश्य की सम्पूर्ति में समर्पित समस्त अध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सबकी मंजुमंगल की कामना करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ।

प्रो. देवीप्रसाद त्रिपाठी
कुलपति
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय
हरिद्वार।

विश्वविद्यालयपरिचयः

सुविदितमेवास्ति सरस्वतीसमाराधनतत्पराणां धीमतां यद् विविधभाषाविभूषितोऽयं भारतदेशः विश्वस्मिन् मुकुटमणिरिव राराजते। भारतीया संस्कृतिरपि सर्वश्रेष्ठेति सुप्रसिद्धमेव धरणीतलेऽस्मिन्। भारतभूमिरियं मोक्षदायिनी, तोषदायिनी, सर्वकामप्रसविनी च वर्तते। अस्यां भुवि एव मन्त्रद्रष्टारः ऋषयो महर्षयो बभूवुः। महर्षिवाल्मीकिना संस्कृतभाषायां विरचितमादिकाव्यं रामायणं को न जानाति? अस्याः मातृभूमेः गौरवं महत्त्वञ्च वेदेषु, पुराणेषु, महाकाव्येषु, नाटकेषु च सर्वत्र प्रतिपादितमस्ति।

विश्ववारा सा भारतीयैव संस्कृतिः यत्रोद्घोष्यते– मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भवेति। अत्र भाष्यन्ते विविधाः भाषाः। भोजने, वेषे भाषासु च वैविध्ये सत्यपि परस्परम् एकता भ्रातृत्वभावना च भारतदेशस्य विलक्षणं वैशिष्ट्यम् अस्ति। अस्यां भूमौ मनुष्यजन्म सुरत्वादपि समधिकं मन्यते, उक्तञ्च।

गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे।

स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूता भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्॥

भारतस्योत्तरस्यां दिशि **'उत्तराखण्डम्'** अभिनवप्रदेशरूपेणाभिज्ञायते। असौ हि भूभागः प्राचीनकालादेव जपतपःसाधनाधिक्येन बदरी–केदार–गङ्गोत्री–यमुनोत्री– अलकनन्दा–पञ्चप्रयाग–नन्दादेवी–वाराही–जागेश्वर–बागेश्वरप्रभृतिनैकविधतीर्थाश्रयत्वेन च परमपावनत्वेन सुप्रतिष्ठितो वर्तते। एतेषां दर्शनमात्रेणैव सकलपातकोपपातकानाम् आत्यन्तिकं प्रशमनं भवतीति अनुभावाधारितो विश्वासोऽस्ति मनीषिणाम्।

को वा न विजानाति भारतस्योत्तरस्यां दिशि देवभूम्या उत्तराखण्डस्य प्रथितं नाम। महर्षिबादरायणो वेदव्यासः अस्मिन्नेवोत्तराखण्डे पुराणानि प्रणीतवान्। इदं हि राज्यं पुराणांनां रचनास्थली, अध्यात्मभूमिः, गङ्गायमुनादिनदीनामुद्गमस्थली, कवीनां च कवितास्थलीरूपेण सुविख्यातं विद्यते। अत्र सुशोभते राज्यस्य मुकुटमणिरिव नगाधिराजो हिमालयः, यस्य वैशिष्ट्यं वर्णयता कविकुलगुरुणा कालिदासेनोक्तम्–

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः।

पूर्वापरौ तोयनिधीवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः॥

भारतस्य प्रतिष्ठायाः कारणं तावत् विश्ववन्द्या भारतीया संस्कृतिः संस्कृतभाषा च वर्तते, नास्त्यत्र मनागपि सन्देहावसरः। संस्कृतं न केवलं भारतस्य प्रत्युत विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा देवभाषापदेनापि व्यवह्रियते। समुदीरितञ्च– **भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा।** संस्कृतभाषाविषये महाभारतीयं सुभाषितमिदं प्रसिद्धम्–

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।

आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः॥

इदं विज्ञायापि भवन्तो नूनममन्दानन्दसन्दोहमनुभविष्यन्ति यदुत्तराखण्डराज्यस्य द्वितीया राजभाषा संस्कृतभाषा वरीवर्ति। उत्तराखण्डराज्यं निखिलेऽपि भूमण्डले प्रथमम् एतादृशं राज्यं, यस्य राज्यस्य द्वितीया राजभाषा देववाणी वर्तते। न केवलमेतावदेव प्रत्युत राज्येऽस्मिन् द्वौ संस्कृतग्रामौ अपि वर्तेते। तयोरेकः भन्तोला, कुमाऊँमण्डलस्य बागेश्वरजनपदे विलसति, द्वितीयश्च 'किमोठेति' गढवालमण्डले वर्तते। हरिद्वारनगरी ऋषिकेशश्च संस्कृतनगररूपेण समुद्घोषितौ स्तः।

अस्याः देवगिरः प्रचार-प्रसाराय, भारतीय-संस्कृतेः संरक्षणाय च केदारखण्डपुराणे मायापुरीनाम्ना प्रसिद्धेऽस्मिन् हरिद्वारे उत्तराखण्डशासनेन 'अधिसूचकाङ्केन 486/विधायी एवं संसदीयकार्यक्रमः/2005 देहरादूनम्, 21अप्रैल 2005 इति ईशवीयवर्षे 'उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयोऽयं संस्थापितः। ततः प्रभृति सततं संस्कृतभाषायाः समुन्नत्यै प्रयतमानोऽयं विश्वविद्यालयः अनुदिनमेधमानो विराजते।

अनेन उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयेन प्रारम्भत एव सम्बद्धाः षट्चत्त्वारिंशत्(46) संख्याकाः पारम्परिकाः संस्कृतमहाविद्यालयाः प्रदेशस्य प्रमुखेषु विभिन्नेषु जोशीमठ-गुप्तकाशी-उत्तरकाशी-श्रीनगर-हल्द्वानी-देवीधुराप्रभृतिषु तपःपूतेषु स्थलेषु भारतस्य प्रथमराष्ट्रपतिप्रमुखैः महापुरुषैः संस्थापिताः विराजन्ते।

एवमेव एकादश(11) संख्याकाः आधुनिकाः महाविद्यालयाः अपि अनेन विश्वविद्यालयेन सम्बद्धाः कौशलविकासपराणां व्यावसायिकपाठ्यक्रमाणां तावदध्ययनाध्यापनमुखेन प्रचारणे प्रसारणे च अनवरतं निरताः राजन्ते।

विश्वविद्यालयानुदानायोगनिर्देशाधारेण मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयसत्प्रेरणया च अत्रत्याः शिक्षकाः **'स्वयम्'** मूक-माध्यमेन ऑनलाइनपाठ्यक्रमनिर्माणप्रक्रियायां सक्रियां भूमिकां निर्वहन्तः संस्कृतसाहित्यस्य व्याकरणन्यायादिशास्त्राणाञ्च आधुनिकपद्धत्यापि प्रशिक्षणे संसिद्धाः नूनं स्तुत्याःसन्ति।

एवं विधैः गुणवत्तापूर्णैः शैक्षणिककार्यैः अनुदिनं विश्वविद्यालयं सत्सङ्कल्पमहिम्ना शैक्षणिकविकासराजमार्गे समानयन्तः अत्रत्या अध्यापकाः, छात्राः, कर्मचारिणः अधिकारिणश्च नूनम् सर्वोच्चश्रेण्याम् अस्य विश्वविद्यालयस्य संस्थापनेऽपि साफल्यम् अवाप्स्यन्त्येव।

एतावता पुराण-नवशिक्षणक्रमयोः विवेचनपुरस्सरं सुपरीक्ष्य सन्मार्गे प्रवर्त्तमानोऽयं संस्कृतविश्वविद्यालयः कविकुलगुरुकालिदासरीत्या नूनं सतां विदुषां बुद्धिमतां समवायः-

पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्।

सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः॥

विश्वविद्यालय का परिचय

सरस्वती की समाराधना में तत्पर विद्वानों को सुविदित ही है कि विविध भाषाओं से विभूषित यह भारत देश सम्पूर्ण विश्व में मुकुटमणि के समान सुशोभित हो रहा है। इस धरातल पर भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, यह सुप्रसिद्ध है। यह भारत भूमि मोक्षदायनी, तोषदायिनी तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसी भूमि में मन्त्रद्रष्टा ऋषि-महर्षि हुए। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा देववाणी में विरचित आदिकाव्य 'रामायण' को कौन नहीं जानता? अर्थात् सभी जानते हैं। इस मातृभूमि का गौरव एवं महत्त्व वेदों, पुराणों, महाकाव्यों, नाटकों में सर्वत्र वर्णित है।

इसी विश्ववार भारतीय संस्कृति का उद्घोष 'मातृ देवो भव', 'पितृ देवो भव', 'आचार्य देवो भव', 'अतिथि देवो भव' आदि स्वरूप में, सभी दिशाओं में गुञ्जायमान होता रहता है। यहीं पर अनेक प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं, परन्तु आहार, वेषभूषा एवं भाषा में अनेकता होने पर भी परस्पर एकता का स्वर तथा भ्रातृभाव भारत देश की विलक्षणता से भरपूर विशेषता को प्रकाशित करता है। इस भारतभूमि में देवता भी मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। कहा भी गया है-

गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे।

स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूता भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्॥

भारत के उत्तर दिग्भाग में 'उत्तराखण्ड' एक अभिनव प्रदेश के रूप में स्थित है। प्राचीन काल से ही जप-तप की साधाना से अभिभूत होते हुए बदरी, केदार, गङ्गोत्री, यमुनोत्री, अलकनन्दा, पञ्चप्रयाग, नन्दादेवी, वाराही, जागेश्वर, बागेश्वर आदि अनेक तीर्थों के रूप में परम पवित्र यह भूभाग सुशोभित है। विद्वानों का अभिमत है कि इनके दर्शन मात्र से ही निश्चित रूप में समस्त पापों का नाश होता है।

कौन नहीं जानता, भारत की उत्तर दिशा में स्थित देवभूमि उत्तराखण्ड को? महर्षि वादरायण वेदव्यास ने इसी देवभूमि में पुराणों की संरचना की। यही राज्य पुराणों की रचना स्थली, वीरों की अध्यात्मभूमि, गंगा-यमुना आदि नदियों की उद्गमस्थली, कवियों की कवितास्थली के रूप में सुविख्यात है। पर्वतों का राजा हिमालय मुकुटमणि के समान इस राज्य की शोभा बढ़ा रहा है। इसकी विशेषता का वर्णन करते हुए कविकुलगुरु कालिदास ने अपने हृदयोद्गार व्यक्त करते हुए कहा है -

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः।

पूर्वापरौ तोयनिधीवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः॥

भारत की प्रतिष्ठा का मूल, विश्व वन्दनीय भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा भारत की ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा देव भाषा के रूप में भी जानी जाती है। कहा भी है कि - **"भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा।"** संस्कृत भाषा के विषय में यह सुभाषित अत्यन्त प्रसिद्ध है-

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।

आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः।।

यह जानकर आप निश्चित ही अत्यन्त आनन्द का अनुभव करेंगे कि उत्तराखण्ड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। सम्पूर्ण विश्व में उत्तराखण्ड ऐसा प्रथम राज्य बन गया है जिसकी द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। इतना ही नहीं इस राज्य में दो संस्कृत ग्राम भी हैं। एक 'भन्तोला' कुमाऊँ मण्डल के बागेश्वर जनपद में स्थित है तथा द्वितीय 'किमोठा' गढ़वाल मण्डल के चमोली जनपद में अवस्थित है। हरिद्वार व ऋषिकेश को संस्कृत नगरी के रूप में भी घोषित किया गया है। प्रदेश –शासन की इन उद्घोषणाओं एवं संस्कृतानुराग से उत्तराखण्ड में संस्कृत का अद्वितीय स्थान एवं देवभाषा के रूप में देवभूमि में महत्त्व सहज ही समझा जा सकता है।

संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार एवं भारतीय संस्कृति के संरक्षण के पुनीत उद्देश्य को पूर्ण करने की दृष्टि से ही केदारखण्ड पुराण में मायापुरी नाम से प्रथित हरिद्वार नगरी में उत्तराखण्ड शासन के द्वारा 'अधिसूचना 486/विधायी एवं संसदीय कार्यक्रम/2005 देहरादून', 21 अप्रैल 2005 ई0 में यह **उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय** स्थापित किया गया। संस्कृत भाषा एवं संस्कृत भाषा में निबद्ध शास्त्रों के समुन्नयन एवं संरक्षण के लिए अपने स्थापना काल से ही यह विश्वविद्यालय अनवरत प्रयत्नशील है।

विश्वविद्यालय के विभागों का परिचय

वेद-विभाग

वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं, **"वेदोऽखिलो धर्ममूलम्"** मनुस्मृति के वचनानुसार समस्त धर्मों के मूल हैं। वेद शब्द पाणिनीय व्याकरण के अनुसार विद् ज्ञाने धातु से निर्मित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विश्व के समस्त ज्ञान के आधार वेद हैं। वेद के विषय में भगवान् मनु ने कहा है कि- **"सर्वज्ञानमयो हि सः"** (मनुस्मृति-2/7) ज्ञान का विज्ञान के साथ अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। इस विषय में अमरकोष में कहा गया है कि **"मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः"**।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में शुक्लयजुर्वेद विषय का अध्यापन सत्र 2013-14 से प्रारम्भ हुआ है। वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर में शुक्लयजुर्वेद विषय से शास्त्री सम्मानित (आनर्स) सामान्य शास्त्री तथा आचार्य का अध्यापन होता है। साथ ही सत्र 2017-18 से कर्मकाण्ड एवं पौराहित्य का एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं षाणमासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ हो चुका है।

वेदों में विज्ञान व गणित तथा औषधि विषय के साथ प्रायः सभी विषयों का ज्ञान समाहित है। इसलिए वेदों के सन्दर्भ में यह सूक्ति प्रसिद्ध है-

सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति।

इहलौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति के स्थान वेद ही हैं। वे ही उचित-अनुचित निदर्शक, कर्तव्य के अवबोधक, ज्ञानालोक प्रसारक तथा निराशा के विनाशक हैं।

वेद विभाग में अध्येताओं की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।

प्रभारी विभागाध्यक्ष

डॉ0 अरुण कुमार मिश्र

9906905846

व्याकरण-विभाग

वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम्।

पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्।।

प्राचीन व्याकरण एवं नव्य व्याकरण

व्याकरणशास्त्र केवल शब्दसाधुत्वप्रक्रियामात्र बोधकशास्त्र नहीं है, अपितु वाक्तत्त्वानुशीलनविधायक स्वतन्त्र दर्शनशास्त्र भी है। "वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे" "ते मृत्युमतिवर्तन्ते मे वाचं समुपासते" "वाग् वै ब्रह्म" "तद् व्याकरणमागम्य परं ब्रह्माधिगम्यते" "तस्मात् यः शब्दसंस्कारः सा सिद्धिः परमात्मनः"

तद्द्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम्।

पवित्रं सर्वविद्यानाम् अधिविद्यं प्रकाशते।।

इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम्।

इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः।।

इत्यादि अनेक श्रुति स्तृतिवचनों से इसका दर्शनत्व सुस्पष्ट है। यह व्याकरण त्रिपथगा गंगा की तरह प्रक्रिया, परिष्कार एवं दर्शन रूप तीन मार्गों से सबका उपकारक है। तथापि

संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप में जानने के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। अपनी इस विशेषता के कारण ही यह वेद का प्रमुख अंग मुख माना जाता है। इसके मूलतः पाँच प्रयोजन हैं-रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। 'रक्षोहागमलघ्वसंदेहाः प्रयोजनम्'। व्याकरण शास्त्र की प्रशंसा में किसी विद्वान् ने कहा भी है-

यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्।

स्वजनः श्वजनो मा भूत् सकलं शकलं सकृच्छकृत्।।

पाणिनि ने अष्टाध्यायी में लगभग 3995 सूत्रों की रचना कर भाषा के नियमों को व्यवस्थित किया है। जिसमें वाक्यों में पदों का संकलन, पदों का प्रकृति-प्रत्यय विभाग एवं पदों की रचना आदि प्रमुख तत्त्व निहित हैं। इन नियमों की पूर्ति के लिए धातुपाठ, गणपाठ तथा उणादिसूत्र भी पाणिनि ने बनाये। सूत्रों में उक्त, अनुक्त, द्विरुक्त विषयों का विचार कर कात्यायन (वररुचि) ने वार्तिकों की रचना की, तत्पश्चात् महामुनि पतञ्जलि ने महाभाष्य की रचना कर संस्कृत व्याकरण को पूर्णता प्रदान की । इन्हीं तीनों को त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। प्राचीन व्याकरण में इनका अनिवार्यतः अध्ययनाध्यापन किया जाता है। नव्यव्याकरण के अन्तर्गत प्रक्रिया क्रम के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है जिसमें भट्टोजि दीक्षित, नागेश भट्ट आदि आचार्यों का अध्ययन मुख्य है। प्राचीन व्याकरण एवं नव्य व्याकरण दो स्वतन्त्र प्रामाणिक धाराएँ हैं।

वर्तमान में विभाग में शास्त्री/आचार्य विद्यावारिधि में अध्यापन/शोध कार्य गतिमान है। विशिष्टाचार्य (एम.फिल.) भी 2017-18 सत्र से प्रारम्भ हो गया है।

डॉ0 शैलेश कुमार तिवारी

विभागाध्यक्ष

9450533067

ज्योतिष विभाग

ज्योतिष वह विद्या या शास्त्र है जिसके द्वारा आकाश स्थित ग्रहों, नक्षत्रों आदि की गति, परिमाप, दूरी इत्यादि का निश्चय किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा 'ज्योतिषां सूर्यादिग्रहाणां बोधकं शास्त्रम्' की गई है। ज्योतिष भाग्य या किस्मत बताने का कोई खेल-तमाशा नहीं है। यह विशुद्ध रूप से एक विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र वेद का अंग है। ज्योतिष शब्द की उत्पत्ति 'द्युत दीप्तौ' धातु से हुई है। इसका अर्थ, अग्नि, प्रकाश व नक्षत्र होता है। शब्द कल्पद्रुम के अनुसार ज्योतिर्मयसूर्यादि ग्रहों की गति, स्थिति, युति, ग्रहण इत्यादि को लेकर लिखे गए वेदांग शास्त्र का नाम ही ज्योतिष है। छः प्रकार के वेदांगों में ज्योतिष मयूर की शिखा व नाग की मणि के समान निरतिशयमहत्त्व को धारण करते हुए मूर्धन्य स्थान को प्राप्त होता है। यथा-

यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा।

तद्वद्वेदाङ्गशास्त्राणां ज्योतिषं मूर्ध्नि संस्थितम्॥

सायणाचार्य ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में लिखा है कि ज्योतिष का मुख्य प्रयोजन अनुष्ठेय यज्ञ के उचित काल का संशोधन करना है। यदि ज्योतिष न हो तो मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र, ऋतु अयन आदि सब विषय उलट-पुलट हो जाएँ। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा मनुष्य आकाशीय-चमत्कारों से परिचित होता है। फलतः वह जनसाधारण को सूर्योदय, सूर्यास्त, चन्द्र-सूर्य ग्रहण, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की युति, ग्रह युद्ध सृङ्गोन्नति ऋतुपरिवर्तन, अयन एवं मौसम के बारे में सही व महत्त्वपूर्ण जानकारी देता है। सारावली के अनुसार इस शास्त्र का सही ज्ञान मनुष्य के लिये धनार्जन में बड़ा सहायक होता है क्योंकि ज्योतिष जब शुभ समय बताता है तो किसी भी कार्य में हाथ डालने पर सफलता की प्राप्ति होती है इसके विपरीत स्थिति होने पर व्यक्ति उस कार्य में हाथ नहीं डालता।

ज्योतिष सूचना व संभावनाओं का शास्त्र है। ज्योतिष गणना के अनुसार अष्टमी व पूर्णिमा को समुद्र में ज्वार-भाटे का समय निश्चित किया जाता है। वैज्ञानिक चन्द्र तिथियों व नक्षत्रों का प्रयोग अब कृषि में करने लगे हैं। ज्योतिष भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति मनुष्य को सावधान कर देता है। रोग निदान में भी ज्योतिष का बड़ा योगदान है।

डॉ. रत्न लाल

प्रभारी विभागाध्यक्ष

9411150543

साहित्य विभाग

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना के समय से ही साहित्य विभाग में स्नातक एवं स्नात्तकोत्तर की कक्षाएं चल रही हैं। वर्तमान में स्नातक एवं स्नात्तकोत्तरस्तर पर छात्र–छात्राएं अध्ययनरत हैं। विभाग में इस समय दो सह आचार्य तथा तीन सहायकाचार्य कार्यरत हैं जिनके निर्देशन में दशाधिक शोधच्छात्र विद्यावारिधि हेतु अनुसन्धानरत हैं। विगत तीन वर्षों से प्री0पीएच0डी0 पाठ्यक्रम चल रहा है, तथा शोधार्थी प्रवेशपरीक्षा के माध्यम से लिए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार विभाग में स्नातक स्तर पर C.B.C.S. प्रणाली लागू है। सत्र 2017–18 से एम0फिल0 पाठयक्रम भी प्रारम्भ हो चुका है, जिसमें वर्तमान में 03 छात्र अध्ययनरत हैं।

संस्कृत साहित्य पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

डॉ0 हरीश चन्द्र तिवाड़ी

विभागाध्यक्ष

9785533878

सर्वदर्शन विभाग

विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में दर्शन संकाय की एक विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। सामान्य दृष्टि से यदि सर्वदर्शन संकाय के ऊपर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होता है कि आठ प्रमुख दार्शनिक विधाओं का समावेश दर्शन में उपलब्ध है।

दर्शन शास्त्र अत्यन्त व्यापक एवं प्रयोजनभूत विषय है। देश–विदेश के प्राय: सभी विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन–अध्यापन होता है। प्राचीन काल में 'दर्शन' का स्थान वही था जो आज 'विज्ञान' का है। दर्शन के माध्यम से आज युगीन समस्याओं के भी ठोस समाधान प्राप्त किये जा रहे हैं। भारतीय प्राशासनिक सेवाओं (IAS/PCS) की परीक्षाओं में भी यह विषय अत्यन्त लोकप्रिय है। विश्वविद्यालय वर्तमान में सर्वदर्शन विषय में संस्कृत माध्यम से आचार्य (एम.ए.) की उपाधि प्रदान कर रहा है जिसके लिए संस्कृत ज्ञान एवं विषय के साथ किसी भी परम्परागत विषय में शास्त्री/बी.ए. संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश ले सकता है।

डॉ0 रत्न लाल

प्रभारी विभागाध्यक्ष

9411150543

शिक्षाशास्त्र विभाग

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में रा.आ.शि. के मानकानुसार भाषा अध्यापकों के तैयार करने व

आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय के अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र विभाग विश्वविद्यालय का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। वर्तमान समय में, पारम्परिक एवं आधुनिक ज्ञान से सम्बद्ध सदस्य संकाय में हैं। विभाग का दृष्टिकोण एवं लक्ष्य संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण-अधिगम प्रणालियों में सामर्थ्य विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध, कुशल एवं आत्मविश्वास युक्त सशक्त अध्यापक एवं अध्यापक-शिक्षक तैयार करना है, जिसके लिए विभाग द्वारा शिक्षाशास्त्री (बी.एड.), एम.ए. शिक्षाशास्त्र पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है।

शिक्षाशास्त्र विभाग का ध्येय संस्कृत शिक्षणशास्त्र पर केन्द्रित शिक्षण अधिगम प्रणालियों का प्रभावी नियोजन, अभिकल्पन एवं क्रियान्वयन करना है। साथ ही संस्कृत शिक्षणशास्त्र के अनुक्षेत्र में नवाचारी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना एवं संस्कृत शिक्षा पर केन्द्रित शोध में अन्तर्विद्यापरक उपागम को बढ़ावा देना इस ध्येय का केन्द्र बिन्दु है। शिक्षण हेतु विभाग में उत्तम भौतिक एवं अनुदेशनात्मक सुविधायें उपलब्ध हैं। तीन प्रयोगशालाओं यथा-भाषा, मनोविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ-साथ संसाधन कक्ष, सामाजिक अध्ययन केन्द्र, कला कक्ष तथा संगोष्ठी कक्ष से विभाग समुन्नत है। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ अध्यापक अध्ययन अध्यापन में अपना विशिष्ट योगदान दे रहे हैं। विद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषय संस्कृत भाषा एवं प्राचीन विषयों यथा-साहित्य, दर्शन एवं ज्योतिष के साथ-साथ आधुनिक विषयों के शिक्षण हेतु छात्राध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कम्प्यूटर विषय का अध्ययन भी कराया जाता है।

शिक्षाशास्त्री के विद्यार्थियों द्वारा, प्राचीन भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के विविध पक्षों एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विद्यालयीय समस्याओं, शैक्षिक प्रबन्धन, शिक्षा की वर्तमान नीतियों, शिक्षा के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पक्षों, नवाचारी शिक्षण तथा शिक्षण अधिगम की दृष्टि से भारतीय साहित्य से सम्बन्धित विषयों का गम्भीर अध्ययन एवं आधुनिक तकनीकी साधनों का शिक्षण में उपयोग किया।

इस सत्र से विभाग में विशिष्टाचार्य (एम.फिल.) एवं विद्यावारिधि (पी.एच.डी.) पाठ्यक्रम भी प्रस्तावित है।

प्रो. मोहन चन्द्र बलोदी

विभागाध्यक्ष

9458118009

योग विज्ञान विभाग

भारतीय संस्कृति में योग का अत्यधिक महत्त्व है। आध्यात्मिक उन्नति या शारीरिक–मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग की आवश्यकता को प्रायः सभी ने मुक्तकंठ से स्वीकार किया है। महर्षि पंतजलि ने उसे योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः एवं भगवान कृष्ण ने समत्वं योग उच्यते के माध्यम से इसे परिभाषित किया है। वर्तमान में जीवनशैली से संबन्धित समस्याओं के समाधान एवं आधुनिक औषधियों के दुष्प्रभाव के विकल्प के रूप में योग चिकित्सा को सर्वत्र प्रशंसा प्राप्त हो रही है। 21 जून, अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाना, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में भी योग विज्ञान विषय को विशेष स्थान प्राप्त है। योग विज्ञान विभाग विश्वविद्यालय के स्थापना काल से ही योग विषय में एक वर्षीय डिप्लोमा, छः मासीय सर्टिफिकेट एवं द्विवर्षीय योगाचार्य (एम0ए0योग) के पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। विभाग में सत्र 2013–14 से पी–एच0डी0 उपाधि एवं सत्र 2017–18 से विशिष्टाचार्य (एम0फिल0) उपाधि की भी शुरुआत की गई है।

विद्यार्थियों को आधुनिक शोध एवं व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करने हेतु इसी वर्ष 17 अप्रैल, 2017 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने नवनिर्मित योग विज्ञान प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। इससे यहाँ पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं को योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा के साथ–साथ नए अनुसंधान से संबन्धित ज्ञान को भी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, जो उन्हें भविष्य में रोजगारोन्मुख बनाने में सहायता प्रदान करेगा।

योग विज्ञान विभाग में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को हमारी शुभकामनाएं।

डॉ0 कामाख्या कुमार
विभागाध्यक्ष
9258369603

हिंदी एवं भाषा विज्ञान विभाग

हिंदी एवं भाषा विज्ञान विभाग, विश्वविद्यालय के महत्त्वपूर्ण विभागों में से एक है। विभाग का नाम भाषा विज्ञान विभाग था जिसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई। वर्ष 2013 में विद्या परिषद् के निर्णयानुसार भाषा विज्ञान विभाग का नाम परिवर्तन कर अनुवाद एवं भाषा विज्ञान करने पर सहमति हुई। कार्य परिषद् की 22वीं बैठक दिनांक 19 मार्च, 2015 में भाषा विज्ञान विभाग का नाम परिवर्तन कर हिंदी एवं भाषा विज्ञान विभाग कर दिया गया, तबसे यह इसी नाम से जाना जाता है। रोजगार की दृष्टि से इस पाठ्यक्रम को उपादेय बनाने के लिए हिंदी साहित्य के साथ-साथ इसमें विभिन्न रोजगारमूलक विषयों यथा-प्रयोजनमूलक हिंदी, सर्जनात्मक लेखन तथा अनुवाद आदि का भी समावेश किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार पाठ्यक्रम को अद्यतन करते हुए इसे अधिक से अधिक, छात्रोपयोगी बनाया गया है। हिंदी भाषा, साहित्य, अनुवाद एवं लोकसाहित्य आदि क्षेत्रों में भी विभाग द्वारा विद्यावारिधि (पी.एच.डी) एवं विशिष्टाचार्य (एम.फिल.) शोध कार्य किया जा रहा है।

विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए विभाग में रचनात्मक गतिविधियों यथा-मौलिक सर्जनात्मक लेखन कार्य, समसामयिक एवं ज्वलंत विषयों पर परिचर्चा एवं विचार-विमर्श के साथ-साथ समय-समय पर देश-विदेश के लब्ध-प्रतिष्ठित विद्वानों के सान्निध्य में परिसंवाद, एवं व्याख्यानों का भी आयोजन किया जाता रहता है।

इसके अतिरिक्त कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, पर्यावरण विज्ञान तथा प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व भी हिंदी एवं भाषा विज्ञान विभाग के ही अन्तर्गत हैं। जिनका विवरण आगे क्रमशः दिया गया है।

प्रो. दिनेश चंद्र चमोला

विभागाध्यक्ष

9411173339

पत्रकारिता विभाग

पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में ज्ञान एवं कौशल विकसित करने के उद्देश्य से पत्रकारिता विभाग की स्थापना वर्ष 2011 में हुई। पत्रकारिता विभाग उत्तराखण्ड में पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में शिक्षण प्रदान करने वाला एक प्रमुख केन्द्र है। पत्रकारिता विभाग में पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र के सम्यक मानव संसाधन विशेष कर पत्रकारिता एवं जनमाध्यमों के विभिन्न विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए दो वर्षीय एम0ए0 (पत्रकारिता) का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ ही सन् 2019-20 से उत्कृष्ट शोध कार्यों हेतु पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय में विशिष्टाचार्य (एम.फिल.) और विद्यावारिधि (पीएच.डी.) के पाठ्यक्रम प्रस्तावित हैं। इन पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के पश्चात छात्र प्रिन्ट माध्यम यथा समाचार पत्र पत्रिकाएं एवं इलेक्ट्रोनिक माध्यम यथा रेडियो, टेलिविजन की पत्रकारिता, विकास संचार, जनसंपर्क, विज्ञापन, नीवन माध्यम (New Media) और इवेन्ट प्रबन्धन के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते है।

पत्रकारिता विभाग में छात्रों की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक ज्ञान के साथ-साथ उनके कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि छात्र/छात्राएँ पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। साथ ही मीडिया जगत की जरूरत के अनुसार अपने को समायोजित कर सकें। पत्रकारिता विभाग को पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में विशेष कर संस्कृत पत्रकारिता के लिए देश के सर्वोत्कृष्ट केन्द्र के तौर पर विकसित किए जाने का लक्ष्य है। विभाग में छात्र/छात्राओं के लिए व्यवसाय एवं रोजगार सम्बन्धी परामर्श एवं मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। छात्र/छात्राओं के लिए प्रत्येक सत्र में एक महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण अनिवार्य है।

डॉ0 धीरज शुक्ला

प्रभारी विभागाध्यक्ष

9358675917, 9634704555

पुस्तकालय विज्ञान विभाग

ग्रन्थालाय किसी भी शैक्षणिक शिक्षा संस्था का महत्त्वपूर्ण अंग है। आज ग्रन्थालय एक व्यवसाय के रूप में उभर कर आया है। ग्रन्थालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए ग्रन्थालय शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। अत: विश्वविद्यालय के द्वारा ग्रन्थालय विज्ञान में शिक्षा देने के लिए बी.लिब्. एस-सी एवं एम.लिब्. एस-सी. में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जा रही है, इसको करने के उपरान्त अनेक प्रकार के व्यवसायों में सेवा के अवसर प्राप्त हो रहे है।

डॉ0 रामरतन खण्डेलवाल

प्रभारी विभागाध्यक्ष

8909161878

राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित है। इसका शुभारम्भ 24 सितम्बर, 1969 ई. में देश के 37 विश्वविद्यालयों में 40 हजार छात्र/छात्राओं द्वारा हुआ। इस योजना में राष्ट्र-निर्माण तथा समाज सेवा के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिसके फलस्वरूप आज देश में लगभग 36 हजार युवा छात्र/छात्राएँ इस योजना में पंजीकृत हैं।

इस योजना का उद्देश्य शिक्षा अर्जन के साथ-साथ सामुदायिक सेवा के माध्यम से व्यक्तिगत विकास करना है। इसका सिद्वान्त वाक्य 'मैं नहीं परन्तु आप' है। उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में सम्प्रति 26 संस्कृत महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाईयाँ संचालित हैं। इस योजना में प्रमुख रूप से प्रत्येक छात्र/छात्रा को एक वर्ष में 120 घण्टे नियमित कार्यक्रम दिन और रात का एक सात दिवसीय विशेष शिविर के अतिरिक्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों-गणतन्त्र दिवस परेड, पूर्व गणतन्त्र दिवस परेड, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, मेगा कैम्प, ग्रीष्म तथा शीतकालीन साहसिक शिवरों में प्रतिभाग करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हेाता है। इस प्रकार कुल दो वर्ष इसमें छात्र/छात्रा की प्रतिभागिता सुनिश्चित की गई है। इसके पश्चात् प्रतिभागी छात्र-छात्रा का 'ए' प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। प्रथम वर्ष में 'बी' तथा द्वितीय वर्ष में 'सी' उत्तीर्ण करने के उपरान्त प्रत्येक प्रमाण पत्र के 5-5 अंक कुल 15 अंकों की अधिमानता प्राप्त होती है, जिससे छात्र/छात्रा बी.एड. तथा अनेक प्रशासनिक सेवाओं में लाभान्वित होता/होती है।

राष्ट्रीय सेवा योजना में युवा विनियम कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट स्वयंसेवी छात्र/छात्राओं को विदेश में जाने का भी सुअवसर प्राप्त होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना में विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यक्रम समन्वयक महाविद्यालय/विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य तथा उत्कृष्ट स्वयं सेवी छात्र/छात्राओं को प्रतिवर्ष राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय एन.एस. पुरस्कार प्राप्त होते हैं। उत्तराखण्ड राज्य में इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर स्मामी विवेकानन्द राज्यस्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से कार्यक्रम समन्वयक, प्रधानाचार्य कार्यक्रम अधिकारी तथा स्वयंसेवी छात्र/छात्राएँ नवाजे जाते हैं।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार उत्तराखण्ड राज्य का दूसरा ऐसा विश्वविद्यालय है, जिसमें स्तानक स्तर पर शास्त्री तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में राष्ट्रीय सेवा योजना की अनिवार्य विषय के रूप में अपने पाठ्यक्रम का अंग सुनिश्चित किया गया है। इस विश्वविद्यालय के 10 वर्षों के अन्तर्गत एक कार्यक्रम अधिकारी, प्रधानाचार्य तथा दो स्वयंसेवी छात्रों ने इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय एन.एस.एस. पुरस्कार प्राप्त कर विश्वविद्यालय ही नहीं अपितु उत्तराखण्ड को गौरवान्वित किया है।

अत: आज के परिवेश में राष्ट्रनिर्माण, सामाजिक सेवा, सहिष्णुता, देश प्रेम, व्यक्तित्व विकास, 'जियो और जीने दो' की शिक्षा प्रदान करने वाली एक मात्र राष्ट्रीय सेवा योजना है। इस योजना में भारत वर्ष के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा निर्देशित भारत स्वच्छता अभियान, अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस आदि इस योजना के अभिन्न अंग हैं।

डॉ0 रत्न लाल
एन.एस.एस.
9411150543

उद्देश्यानि

उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्रमुखोद्देश्यानि-

1. विश्वविद्यालयस्य स्थापनायाः उद्देश्यं पारम्परिकसंस्कृतविद्यायाः प्रचारः प्रसारः विकासः प्रोत्साहनञ्च।
2. प्राच्य-पाश्चात्त्यज्ञानविज्ञानानां समन्वयः।
3. प्राच्यभाषाणां तत्सम्बद्धविभिन्नविषयाणाम् अध्ययनाध्यापनपरम्परासंरक्षणम्।
4. संस्कृतविद्यायाः सर्वासु विधासु अनुसन्धानम्।
5. शिक्षणप्रशिक्षणयोः पाण्डुलिपिविज्ञानस्य च संरक्षणम्।
6. कौशलविकासपरकाणां व्यावसायिकपाठ्यक्रमाणां माध्यमेन संस्कृतस्य विकासाय प्रचाराय प्रसाराय च प्रयासाः।
7. प्रदेशस्य विविधभागेषु, महाविद्यालयानाम् अधिग्रहणं सञ्चालनञ्च।
8. संस्कृतस्य सवंर्धनाय प्रदेशसर्वकारस्य राजकीयाभिकरणरूपेण तस्य नीतीनां योजनानाञ्च क्रियान्वयनम्।
9. शैक्षणिकक्षेत्रेषु अनुदेशनस्य प्रशिक्षणस्य च प्रबन्धीकरणम्।
10. शोधज्ञानस्य प्रचाराय विकासाय च समुचितमार्गदर्शनं व्यवस्थाविधानञ्च।
11. भारतसर्वकारस्य विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य च सहयोगेन शोधपीठ- अध्ययनपीठानां संस्थापनम्।
12. भारतीयसंस्कृतिसाहित्येन सह अन्य-संस्कृतीनां तुलनात्मकं समीक्षात्मकमध्ययनम् अनुसन्धानञ्च।
13. विश्वविद्यालयस्योत्थाने विविधानां शैक्षणिकगतिविधीनां सांस्कृतिकपक्षाणां च निष्पादनम्।
14. पालिप्राकृतभाषाणां संरक्षणं संवर्धनञ्च।
15. राष्ट्रियान्ताराष्ट्रिय-संगोष्ठी-कार्यशाला-पुनश्चर्यापाठ्यक्रमाणां माध्यमेन विश्वविद्यालयस्थानां छात्राणां शिक्षकाणां जिज्ञासूनाञ्च प्रचीनेन विज्ञानेन शस्त्रज्ञानेन च सह अधुनातनज्ञानविज्ञानानां सुसंयोजनम्।
16. संस्कृतसाहित्यस्य व्यापकमध्ययनमनुसन्धानञ्च।

उद्देश्य

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्य–

1. विश्वविद्यलाय की स्थापना का प्रथम उद्देश्य पारम्परिक संस्कृत विद्या का प्रचार, विकास और प्रोत्साहन है।
2. प्राच्य–पाश्चात्य ज्ञान/विज्ञान का समन्वय।
3. प्राच्य भाषाओं एवं तत्सम्बद्ध विभिन्न विषयों के अध्ययन, अध्यापन परम्परा का संरक्षण।
4. संस्कृत विद्या की सभी विधाओं में अनुसन्धान।
5. शिक्षण/प्रशिक्षण तथा पाण्डुलिपिविज्ञान का संरक्षण।
6. कौशलविकासपरक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से संस्कृत के विकास, प्रचार–प्रसार के लिए प्रयास।
7. प्रदेश के विविध भागों में महाविद्यालयों का अधिग्रहण और संचालन।
8. संस्कृत के संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार के राजकीय अभिकरण के रूप में, उसकी नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन।
9. शैक्षणिक क्षेत्रों में अनुदेशन और प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना।
10. शोध ज्ञान के प्रचार और विकास के लिए समुचित मार्गदर्शन तथा व्यवस्था करना।
11. भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से शोध पीठों तथा अध्ययनपीठों की स्थापना।
12. भारतीय संस्कृति और साहित्य के साथ अन्य संस्कृतियों का तुलनात्मक तथा समीक्षात्मक अध्ययन और अनुसन्धान।
13. विश्वविद्यालय के उत्थान में अनेक शैक्षणिक गतिविधियों और सांस्कृतिक पक्षों का निष्पादन।
14. पालि और प्राकृत भाषाओं का संरक्षण तथा संवर्धन।
15. राष्ट्रीय–अन्तराष्ट्रीय संगोष्ठी, कार्यशाला, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और जिज्ञासुओं का प्राचीन विज्ञान एवं शास्त्रों के साथ आधुनिक ज्ञान–विज्ञान की सम्बन्ध स्थापना।
16. संस्कृत साहित्य का व्यापक अध्ययन और अनुसन्धान।

सञ्चालनसंरचना

उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सञ्चालनम् अधोनिर्दिष्टानां समितीनां माध्यमेन भवति-

1. कार्यपरिषद्
2. विद्यापरिषद्
3. वित्तसमितिः
4. परीक्षा-समितिः
5. प्रवेशसमितिः

अपि च राज्यस्तरीयानाम् अन्येषां विश्वविद्यालयानां कुलाधिपतिरिव उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयस्यापि कुलाधिपतयः कुलाध्यक्षाः श्री राज्यपालमहोदयाः वर्त्तन्ते। कार्यपरिषद् विश्वविद्यालयस्य सर्वश्रेष्ठ-नीतिगतनिर्णयानां क्रियान्वयनाय अधिकारसम्पन्नाऽस्ति। विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः पदेन अस्याः परिषदः अध्यक्षाः भवन्ति। शिक्षा-शिक्षण-प्रशिक्षण-शोधकार्यक्रमाणां मानदण्डादीनामनुरक्षणं विद्यापरिषदा क्रियते। विश्वविद्यालयीयानां वित्तीय-समस्तगतिविधीनां सञ्चालनं, वार्षिक-आय-व्ययादीनां निर्धारणञ्च वित्तसमितिः विदधाति। परीक्षासमितिः परीक्षासम्बद्धानि सर्वाणि कार्याणि सम्पादयति। प्रवेशसम्बन्धिकार्यजातं तावत् प्रवेशसमितिः सुसम्पादयति।

विश्वविद्यालयस्य प्रमुखकार्याणि

विश्वविद्यालयस्य पूर्वोक्त-उद्देश्यानां प्राप्तये विश्वविद्यालयपरिसरे सम्बद्धमहाविद्यालयेषु च निम्नलिखिताः क्रियाकलापाः नियमितरूपेण अनुष्ठीयन्ते।

1. राज्यस्य विभिन्नस्थलेषु महाविद्यालयानां सञ्चालनम्।
2. स्नातक-स्नातकोत्तरस्तरे परम्परागतपद्धत्या संस्कृतशिक्षणम्।
3. प्राच्यविषयाणामध्ययनमध्यापनञ्च।
4. संस्कृतभाषामाध्यमेन शिक्षकप्रशिक्षणम्।
5. व्यावसायिकपाठ्यक्रमेषु उपाधि/प्रमाणपत्रप्रदानञ्च।
6. स्वीकृतेषु निर्धारितेषु पाठ्यक्रमेषु छात्रेभ्यः डिप्लोमा/प्रमाणपत्रप्रदानम्।
7. शोधकार्यम्।
8. "शोध प्रज्ञा" नाम्न्याः शोधपत्रिकायाः प्रकाशनम्।
9. 'विश्वविद्यालयवार्ताः' समाचारपत्रिकायाः प्रकाशनम्।
10. विश्वविद्यालदिनमानयमस्य दैनन्दिन्याश्च प्रकाशनम् (भारतीयपद्धतिं प्रमुखीकृत्य)

सञ्चालन संरचना

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय का सञ्चालन अधोलिखित समितियों के माध्यम से किया जाता है–

1. कार्यपरिषद्
2. विद्यापरिषद्
3. वित्त समिति
4. परीक्षा समिति
5. प्रवेश समिति

इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय अन्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की भाँति उत्तरखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के भी कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति माननीय राज्यपाल महोदय हैं। कार्य–परिषद् विश्वविद्यालय की सर्वश्रेष्ठ नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन करने हेतु अधिकार सम्पन्न परिषद् है। विश्वविद्यालय के कुलपति पदेन इस परिषद् के अध्यक्ष होते हैं। शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसन्धान आदि के मानकों का अनुरक्षण विद्या–परिषद् के द्वारा होता है। विश्वविद्यालयीय वित्तीय गतिविधियों का सञ्चालन, वार्षिक आय–व्यय का निर्धारण वित्त समिति द्वारा किया जाता है। परीक्षा–समिति परीक्षाओं का आयोजन करती है तथा प्रवेश सम्बन्धी कार्यक्रमों का सम्पादन प्रवेश–समिति करती है।

विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्य

विश्वविद्यालय पूर्व निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का नियमित आयोजन करता है–

1. राज्य के विभिन्न स्थानों में महाविद्यालयों का सञ्चालन।
2. स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर पर परम्परागत पद्धति से संस्कृत शिक्षण।
3. प्राच्यविषयों का अध्ययन और अध्यापन।
4. संस्कृत माध्यम से शिक्षण–प्रशिक्षण।
5. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उपाधि/प्रमाणपत्र प्रदान करना।
6. स्वीकृत निर्धारित पाठ्यक्रमों में छात्रों को डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रदान करना।
7. शोध कार्य।
8. "शोध प्रज्ञा" नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन।
9. 'विश्वविद्यालयवार्ता:' समाचार पत्रिका का प्रकाशन।
10. विश्वविद्यालय कैलेन्डर एवं दैनन्दिनी का प्रकाशन (भारती पद्धति को प्रमुखता ले कर)

भावियोजनाः

1. प्राचीनपाण्डुलिपिषु अनुसन्धानं, अनुवादः, प्रकाशनं, सम्पादनं पाण्डुलिपि-संग्रहालयानां स्थापना च।
2. राष्ट्रियान्ताराष्ट्रियस्तरे बौद्धिक-योग-सांस्कृतिक-क्रीडाप्रतियोगितासु प्रतिभागिता स्थानप्राप्तकर्तृभ्यः छात्रेभ्यः पुरस्कारप्रदानम्।
3. मौलिकशोधग्रन्थानां प्रकाशनम्।
4. छात्रसौविध्याय छात्रावासस्य व्यवस्था। यस्य निर्माणकार्यं प्रशासनसहयोगेन प्रतीक्षितम् विद्यते।
5. प्रशासनिककार्याणां कृते पृथक् प्रशासनिकभवनस्य निर्माणमपि प्रशासनसहयोगेन प्रतीक्षितं विद्यते।
6. विभिन्नेषु पारम्परिकेषु शास्त्रीयविषयेषु देशस्य प्रतिष्ठितानां संस्कृतविश्वविद्यायलानां परम्परानुरूपम् उत्तराखण्ड-संस्कृतविश्वविद्यालयेऽपि पदानां विभागानाञ्च संस्थापनापुरस्सरं संस्कृतभाषामाध्यमेन अध्ययनाध्यापनव्यवस्थायाः शुभारम्भः।

कार्यकारि-संरचना

उत्तराखण्ड-संस्कृत-विश्वविद्यालयः अधोलिखितानुभागानां माध्यमेन कार्यं करोति।

1. प्रशासन-अनुभागः- अनुभागोऽयं सामान्यप्रशासनकार्याणां सञ्चालनं करोति। अनेन नियुक्तिः, पदस्थापना तत्तद् महाविद्यालयेषु नियन्त्रणं च क्रियते।
2. वित्त-अनुभागः- विश्वविद्यालयस्य आयव्ययपत्रकस्य "बजट" इत्यस्य विवरणम्, अनुदानस्य विवरणं, वित्तीयव्यवस्थायाः वार्षिकाभिलेखं च प्रस्तौति अनुभागोऽयम्। भविष्यनिधीनां निर्धारणं, छात्रवृत्तीनां संवितरणञ्चापि क्रियते अनेनानुभागेनेति।
3. परीक्षा-अनुभागः- अनुभागोऽयं स्नातक-स्नातकोत्तरस्तरे शोध-छात्रस्तरे च परीक्षा आयोजयति तासां मूल्यांकनकार्यमपि अनुभागोऽयं सम्पादयति। परीक्षानुभागमाध्यमेन विद्यावारिधि-शिक्षाशास्त्रि-पाठ्यक्रमयोः प्रवेशपरीक्षा, वार्षिकपरीक्षा चापि सञ्चाल्यते। एतदतिरिक्तमनुभागोऽयं तत्तत्पाठ्यक्रमाणाम् अङ्कपत्रं, प्रमाणपत्रं, प्रव्रजनप्रमाणपत्रं, श्रेणीसंस्कारादिकार्यञ्च सम्पादयति।
4. शैक्षिकानुभागः- विश्वविद्यालये महाविद्यालयेषु च पारम्परिकपद्धत्या संस्कृतशिक्षणाय सर्वासु कक्षासु मानकनिर्धारणं शैक्षिककार्यक्रमस्य चर्यानिर्माणं पाठ्यक्रमनिर्माणञ्च अनुभागेनानेन क्रियते।

भावी योजना

1. विश्वविद्यालय के द्वारा प्राचीन पाण्डुलिपियों का अनुसन्धान, अनुवाद, प्रकाशन, सम्पादन और पाण्डुलिपि संग्रहालयों की स्थापना।
2. राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर में बौद्धिक/योग/सांस्कृतिक/क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कार प्रदान करना।
3. मौलिक शोध ग्रन्थों का प्रकाशन।
4. छात्रों की सुविधा के लिए छात्रावास व्यवस्था, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।
5. प्रशासनिक कार्यों के लिए पृथक प्रशासनिक भवन का निर्माण प्रगति पर है।
6. विभिन्न पारम्परिक शास्त्रीय विषयों में देश के प्रतिष्ठित सस्कृत विश्वविद्यालयों के अनुरूप पदों एवं विभागों की स्थापना एवं अध्ययन–अध्यापन का संस्कृत भाषा के माध्याम से व्यवस्था का शुभारम्भ।

कार्यकारी संरचना

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय निम्नलिखित अनुभागों की सहायता से कार्य करता है।

1. प्रशासन अनुभाग – यह अनुभाग समान्य प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है। इसके द्वारा नियुक्ति, पदस्थापना तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों का नियन्त्रण किया जाता है।
2. वित्त अनुभाग – विश्वविद्यालय के बजट का विवरण, अनुदान का विवरण, वित्तीय व्यवस्था का वार्षिक लेखा–जोखा इस अनुभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भविष्यनिधियों का निर्धारण तथा छात्रवृत्तियों का संवितरण भी किया जाता है।
3. परीक्षा अनुभाग – यह अनुभाग स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर परीक्षा का आयोजन करते हुए मूल्यांकन कार्य भी सम्पादित करता है। इस अनुभाग के माध्यम से विद्यावारिधि और शिक्षाशास्त्री (बी.एड्.) की प्रवेश परीक्षा और वार्षिक परीक्षा का भी आयोजन किया जाता है। अनुभाग के माध्यम से अंकपत्र, प्रमाणपत्र, निष्क्रमण प्रमाण–पत्र और श्रेणी सुधारादि कार्य किये जाते है।
4. शैक्षिक अनुभाग – विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में परम्परागत संस्कृत शिक्षण के लिए सभी कक्षाओं में मानक निर्धारण, शैक्षिक कार्यक्रम, पचांग निर्माण और पाठ्यक्रम निर्माण कार्य इस अनुभाग द्वारा किये जाते हैं।

विभागानां परिचयः

क्र.सं.	संकायः/विभागः	संचालित पाठ्यक्रमाः	विभागीयसदस्याः	दूरभाषसंख्या
1.	वेदावेदाङ्गसंकायः			
	(क) वेदविभागः	शास्त्री,आचार्यः	डॉ. अरुणकुमारमिश्रः प्रभारी विभागाध्यक्षः	9906905846
	(ख) व्याकरणविभागः	शास्त्री,आचार्यः,विद्यावारिधिः	डॉ. शैलेशकुमारतिवारी,विभागाध्यक्षः-संकायाध्यक्षश्च	9450533067
		विशिष्टाचार्यः (एम.फिल.)	डॉ. दामोदर परगॉई,सहायकाचार्यः	9410939700
			डॉ. राकेशकुमार सिंहः,सहायकाचार्यः	8445836579
	(ग) ज्योतिषविभागः	शास्त्री,आचार्यः,विद्यावारिधिः	डॉ. रत्नलालः,सहायकाचार्यः	9411150543
2.	साहित्यसंस्कृतिसंकायः	शास्त्री,आचार्यः,विद्यावारिधिः,	डॉ. हरीशचन्द्रतिवाडी,विभागाध्यक्षः-संकायाध्यक्षश्च	9785533878
	साहित्यविभागः	विशिष्टाचार्यः (एम.फिल.)	डॉ. प्रतिभाशुक्ला, सहाचार्या	8126729245
			डॉ. मनोजकिशोरपन्तः,सहायकाचार्यः	9412157445
			डॉ. रामरतनखण्डेलवालः,सहायकाचार्यः	8909161878
			डॉ. कंचनतिवारी, सहायकाचार्यः	8449854358
3.	दर्शनसंकायः(सर्वदर्शनविभागः)	आचार्यः(एम.ए.)	डॉ. रत्न लाल, प्रभारी विभागाध्यक्षः	9411150543
4.	आधुनिकज्ञानविज्ञान-संकायः			
	(क) हिंदी एवं भाषाविज्ञानविभागः	आचार्यः, (एम.ए.)	प्रो. दिनेशचंद्रचमोला, विभागाध्यक्षः-संकायाध्यक्षश्च	9411173339
	इतिहास	विद्यावारिधिः, विशिष्टाचार्यः	डॉ. उमेश कुमारशुक्लः,सहायकाचार्यः	9454191557
	संगणकविज्ञान (कम्प्यूटर)	आचार्यः (एम.ए.)	डॉ.अजयपरमारः	7060837067
	आंग्लभाषा (अंग्रेजी)		श्री सुशीलकुमारः, सहायकाचार्यः	9410532438
	पर्यावरण		डॉ. श्वेता अवस्थी, सहायकाचार्या	9839079087
			डॉ. विनय सेठी, सहायकाचार्यः	9719775831
	(ख)शिक्षाशास्त्रविभागः	शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)	प्रो. मोहनचन्द्रबलोदी, विभागाध्यक्षः	9758492740
		एम.ए. शिक्षाशास्त्रे	डॉ. अरविन्द नारायण मिश्र	9084023707
		विद्यावारिधिः, विशिष्टाचार्यः	डॉ. विन्दुमती द्विवेदी, सहायकाचार्या	9411372835
			डॉ. प्रकाशचन्द्रपन्तः	9411372835
			डॉ. सुमनप्रसादभट्टः, सहायकाचार्यः	9917189039
			सुश्री मीनाक्षी, सहायकाचार्याः	7500551489
	(ग) योगविज्ञानविभागः	योगाचार्यः,	डॉ. कामाख्याकुमारः, विभागाध्यक्षः	7017860155
		विद्यावारिधिः, विशिष्टाचार्यः	डॉ.लक्ष्मीनारायण जोशी, सहायकाचार्यः	9897703424
	(घ) ग्रंथालयविज्ञान विभागः	बी.लिब्. एस-सी., एम.लिब्, एस-सी.	डॉ. रामरतनखण्डेलवालः,प्रभारी विभागाध्यक्षः	8909161878
	(ङ) पत्रकारितविभागः	एम.ए., पत्रकारिता	डॉ. धीरजशुक्लः, प्रभारी विभागाध्यक्षः	9358675917

विभागों का परिचय

क्र.सं.	संकाय/विभाग	संचालित पाठ्यक्रम	विभागीय सदस्य	दूरभाष संख्या
1.	वेदावेदाङ्गसंकाय			
	(क) वेदविभाग	शास्त्री,आचार्य	डॉ. अरुण कुमार मिश्र, प्रभारी विभागाध्यक्ष	9906905846
	(ख) व्याकरणविभाग	शास्त्री,आचार्य,विद्यावारिधि	डॉ. शैलेश कुमार तिवारी,विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष	9450533067
			डॉ. दामोदर परगॉई, सहायकाचार्य	9410939700
			डॉ. राकेश कुमार सिंह, सहायकाचार्य	8445836579
	(ग) ज्योतिषविभाग	शास्त्री,आचार्य,विद्यावारिधि	डॉ. रत्न लाल,सहायकाचार्य	9411150543
2.	साहित्यसंस्कृतिसंकाय	शास्त्री,आचार्य,विद्यावारिधि	डॉ. हरीश चन्द्र तिवाडी,विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष	9785533878
	साहित्यविभाग	विशिष्टाचार्य	डॉ. प्रतिभा शुक्ला, सहाचार्या	8126729245
			डॉ. मनोज किशोर पन्त, सहायकाचार्य	9412157445
			डॉ. रामरतन खण्डेलवाल, सहायकाचार्य	8909161878
			डॉ. कंचन तिवारी, सहायकाचार्य	8449854358
3.	दर्शनसंकाय(सर्वदर्शनविभाग)	आचार्य(एम.ए.)सर्वदर्शनाचार्य	डॉ. रत्न लाल, प्रभारी विभागाध्यक्ष	9411150543
4.	आधुनिकज्ञानविज्ञान-संकाय			
	(क) हिन्दी एवं भाषाविज्ञानविभाग	आचार्य, विद्यावारिधि, विशिष्टाचार्य	प्रो. दिनेश चंद्र चमोला, विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष	9411173339
	इतिहास	आचार्य (एम.ए.)	डॉ. उमेश कुमार शुक्ल, सहायकाचार्य	9454191557
			डॉ.अजय परमार	7060837067
	संगणकविज्ञान (कम्प्यूटर)		श्री सुशील कुमार, सहायकाचार्य	9410532438
	आंग्लभाषाविभाग (अंग्रेजी)		डॉ. श्वेता अवस्थी, सहायकाचार्य	8449902465
	पर्यावरण		डॉ. विनय कुमार सेठी, सहायकाचार्य	9719775831
	(ख) शिक्षाशास्त्रविभाग	विद्यावारिधि, विशिष्टाचार्य	प्रो. मोहन चन्द्र बलोदी, विभागाध्यक्ष	9458118009
			डॉ. अरविन्द नारायण मिश्र	9084023707
			डॉ. विन्दु मती द्विवेदी, सहायकाचार्या	9411372835
			डॉ. प्रकाश चन्द्र, सहायकाचार्य	9411372835
			डॉ. सुमन प्रसाद भट्ट, सहायकाचार्य	9917189039
			सुश्री मीनाक्षी, सहायकाचार्या	7500551489
	(ग) योगविज्ञानविभाग	योगाचार्य, विद्यावारिधि, विशिष्टाचार्य	डॉ. कामाख्या कुमार, विभागाध्यक्ष	7017860155
			डॉ.लक्ष्मी नारायण जोशी, सहायकाचार्य	9897703424
	(घ) ग्रंथालयविज्ञान विभाग	बी.लिब्. एस-सी., एम.लिब्, एस-एस.	डॉ. राम रतन खण्डेलवाल, प्रभारी विभागाध्यक्ष	8909161878
	(ड) पत्रकारितावभाग	एम.ए., पत्रकारिता	डॉ. धीरज शुक्ला, प्रभारी विभागाध्यक्ष	9358675917

महत्त्वपूर्णतिथयः

(तिथिषु परिवर्तनं सम्भाव्यते)

क्र.सं.	विषयः	महत्त्वपूर्ण तिथियः
01.	प्रवेशावेदनपत्रस्य वितरणम्	27.06.2019
02.	प्रवेशारम्भतिथिः	05.07.2019
03.	प्रवेशस्यन्तिमा तिथिः	16.08.2019
04.	विलम्बशुल्केन सह प्रवेशस्यान्तिमा तिथिः	17.08.2019 तः
		31.08.2019 यावत्
विशेष :- शास्त्री II/III तथा आचार्यकक्षायां प्रवेशः परीक्षापरिणामस्य घोषणानन्तरं 15 दिवासनामभ्यन्तरे भविष्यति।		
05.	प्रथम/तृतीयसत्रयोः परीक्षावेदनपत्राणां प्राप्तेः प्रारम्भिकी तिथिः	12.09.2019
06.	पूरितपरीक्षावेदनपत्राणां विश्वविद्यालये प्रेषणस्य अन्तिमा तिथिः	31.10.2019
07.	150/रु. विलम्बशुल्केन सह पूरितवेदनपत्राणां प्रेषणस्य अन्तिमा तिथिः	12.11.2019
08.	250/रु. विलम्बतमशुल्केन सह आवेदनपत्राणां विश्वविद्यालये समर्पणतिथिः	17.11.2019
09.	प्रथम/तृतीयसत्रयोः, शास्त्रि-आचार्य-व्यावसायिक कक्षाणां परीक्षारम्भतिथिः	07.12.2019 तः 24.12.2019 यावत्
10.	द्वितीय/चतुर्थसत्रयोःपरीक्षावेदन-पत्राणां महाविद्यालयेषु प्रेषणस्य तिथिः	21.01.2020
11.	पूरितपरीक्षावेदनपत्राणां विश्वविद्यालये समर्पणतिथिः	05.02.2020
12.	निर्धारिततिथेरनन्तरं 150/रु. विलम्बशुल्केनसह समर्पणतिथिः	15.02.2020
13.	250/रु. विलम्बतमशुल्केन सहपरीक्षावेदनपत्राणा विश्वविद्यालये समर्पणतिथिः	22.02.2020
14.	द्वितीय-चतुर्थसत्रयोः तथा वार्षिकी (सेमेस्टर) परीक्षातिथिः	12.05.2020 तः 31.05.2020 यावत्
योगाचार्यकक्षायां प्रवेशपरीक्षायाः तिथिः		
15.	प्रवेशपरीक्षायाः आवेदनपत्राणां वितरणस्य प्रारम्भिकी तिथिः (वेबसाईट माध्यमेन)	27.06.2019
16.	विश्वविद्यालये आवेदनपत्राणां प्रेषणस्य अन्तिमा तिथिः	25.07.2019
17.	प्रवेशपरीक्षायाः तिथिः समयश्च	04.08.2019 11:00 तः 01:00 वादनं यावत्
18.	प्रवेशपरीक्षायाः परिणामस्य घोषणायाः सम्भाविता तिथिः	10.08.2019
19.	प्रथमपरामर्श तिथिः	13.08.2019
20.	द्वितीयपरामर्श तिथिः	14.08.2019

महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

(तिथियों में परिवर्तन सम्भव है)

क्र.सं.	विषय	महत्त्वपूर्ण तिथियाँ
01.	प्रवेश आवेदन पत्रों का वितरण	27.06.2019
02.	प्रवेश की तिथि	05.07.2019
03.	प्रवेश की अन्तिम तिथि	16.08.2019
04.	रु. 100 विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश की अन्तिम तिथि	17.08.2019 से 31.08.2019
विशेष:–शास्त्री द्वितीय/तृतीय तथा आचार्य कक्षा में प्रवेश, परीक्षा परिणाम की घोषणा के पन्द्रह दिनों के अन्दर हो सकेगा।		
05.	प्रथम/तृतीय सत्रों के परीक्षा आवदेनपत्र प्राप्त करने प्रारम्भिक तिथि	12.09.2019
06.	पूरित परीक्षा आवेदनपत्रों को विश्वविद्यालय में जमा करने की तिथि	31.10.2019
07.	निर्धारित तिथि के पश्चात् 150/रु. विलम्ब शुल्क के साथ पूर्ण परीक्षा आवेदन पत्रों को भेजने की अन्तिम तिथि	12.11.2019
08.	250/रु. विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्र भेजने की अन्तिम तिथि	17.11.2019
09.	प्रथम/तृतीय सत्र की शास्त्री–आचार्य/व्यावसायिक परीक्षाओं की तिथि	07.12.2019 से 24.12.2019
10.	द्वितीय/चतुर्थ सत्र के परीक्षा आवेदन पत्रों को महाविद्यालय में ले जाने की तिथि	21.01.2020
11.	पूरित परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि	05.02.2020
12.	निर्धारित तिथि के बाद 150/रु. विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्रों को भेजने की तिथि	15.02.2020
13.	250/रु. विलम्बतम शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्र भेजने की अन्तिम तिथि	22.02.2020
14.	द्वितीय/चतुर्थ सत्र (सेमेस्टर) की तथा वार्षिक परीक्षा की तिथि	12.05.2020 से 31.05.2020
योगाचार्य (एम.ए.) प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ		
15.	प्रवेश आवेदन पत्र विश्वविद्यालय मे प्राप्त/वेबसाइट द्वारा डाउनलोड करने की तिथि	27.06.2019
16.	विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	25.07.2019
17.	प्रवेश परीक्षा की तिथि एवं समय	04.08.2019 (11:00 बजे से 01:00 बजे तक)
18.	परीक्षा परिणाम (सम्भावित तिथि)	10.08.2019
19.	प्रथम (काउंसलिंग)	13.08.2019
20.	द्वितीय (काउंसलिंग)	14.08.2019

उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

शैक्षणिकदिवसाः अवकाशसूची च* 2019-20

प्रथमसत्रांशः (प्रथम सेमेस्टर)

क्र0सं0	विवरणम्	अवकाश–दिवसाः	दिनदर्शिकानुसारतिथिः	वारः
1.	प्रथमसत्रारम्भः (चन्द्रग्रहणम्)	–	16.07.2019	मंगलवासरः
2.	काँवड़मेला	07	25.07.2019 तः 31.07.2019पर्यन्तम्	गुरुवासरः बुधवारपर्यन्तम्
3.	जुलाईमासे कार्यदिवसाः	–	04 कार्यदिवसाः	–
4.	द्वितीयशनिवासरः	01	10.08.2019	शनिवासरः
5.	ईद–उल–जुहा (बकरीद)	01	12.08.201	सोमवासरः
6.	स्वतन्त्रतादिवसः/रक्षाबन्धनम्	–	15.08.2019	गुरुवासरः
7.	संस्कृतसप्ताहकार्यक्रमः	–	09.08.2019 तः 15.08.2019 पर्यन्तम्	शुक्रवासरः गुरुवारपर्यन्तम्
8.	कृष्णजन्माष्टमी	01	23.08.2019	शुक्रवासरः
9.	अगस्तमासे कार्यदिवसाः	–	24 कार्यदिवसाः	–
10.	मोहर्रमः/श्रीवामनजयन्ती	01	10.09.2019	मंगलवासरः
11.	द्वितीयशनिवासरः/महालय–पितृपक्षः/हिन्दीदिवसः	01	14.09.2019	शनिवासरः
12.	विश्वकर्मापूजनम्	01	17.09.2019	मंगलवासरः
13.	मातृनवमीश्राद्धम्	01	23.09.2019	सोमवासरः
14.	सर्वपितृश्राद्धम्	01	28.09.2019	शनिवासरः
15.	शारदीयनवरात्र–अवकाशाः	08	30.09.2019 तः 07.10.2019पर्यन्तम्	सोमवासरतः सोमवासरपर्यन्तम्
16.	सितम्बरमासे कार्यदिवसाः	–	19 कार्यदिवसाः	–
17.	गांधीजयन्ती	–	02.10.2019	बुधवासरः
18.	दशहरा–अवकाशः	01	08.10.2019	मंगलवासरः
19.	द्वितीयशनिवासरः	01	12.10.2019	शनिवासरः
20.	महर्षिवाल्मीकिजयन्ती	–	13.10.2019	रविवासरः
21.	करकचतुर्थी (करवाचौथ)	01	17.10.2019	गुरुवासरः
22.	दीपावल्यवकाशाः	04	26.10.2019 तः 29.10.2019 पर्यन्तम्	शनिवासरतः मंगलवासरपर्यन्तम्
23.	अक्टूबरमासे कार्यदिवसाः	–	15 कार्यदिवसाः	–
24.	छठपूजाः	01	02.11.2019	शनिवासरः
25.	द्वितीयशनिवासरः	01	09.11.2019	शनिवासरः
26.	ईद–ए–मिलादः	01	10.11.2019	रविवासरः
27.	श्रीगुरुनानकदेवजयन्ती	01	12.11.2019	मंगलवासरः
28.	नवम्बरमासे कार्यदिवसाः	–	23 कार्यदिवसाः	–
29.	विश्व एड्सदिवसः/श्रीगुरुतेगबहादुरशहीददिवसः	–	01.12.2019	रविवासरः
30.	द्वितीयशनिवासरः	01	14.12.2019	शनिवासरः
31.	प्रथमसत्रीयपरीक्षाः	–	07.12.2019 तः 24.12.2019पर्यन्तम्	शनिवासरतः मंगलवासरपर्यन्तम्
32.	मालवीयजयन्ती/क्रिसमसदिवसः	01	25.12.2019	बुधवासरः
33.	शीतावकाशाः	16	26.12.2019 तः 10.01.2020 पर्यन्तम्	गुरुवासरतः शुक्रवासरपर्यन्तम्
34.	केन्द्रीय मूल्यांकनम्	–	परीक्षाविभागानुसारः	–
35.	दिसम्बरमासे कार्यदिवसाः	–	19 कार्यदिवसाः	–
36.	प्रथमसत्रांशे कार्यदिवसाः	(04+24+19+15+23+19) = 104		104 दिवसाः

द्वितीयसत्रांशः (द्वितीय सेमेस्टर)

क्र0सं0	विवरणम्	अवकाश–दिवसाः	दिनदर्शिकानुसारतिथिः	वारः
1.	द्वितीयसत्रारम्भः / द्वितीयशनिवासरः	01	11.01.2020	शनिवासरः
2.	लोहड़ी	01	13.01.2020	सोमवासरः
3.	मकरसंक्रान्तिः	01	14.01.2020	मंगलवासरः
4.	गणतन्त्र–दिवसः	–	26.01.2020	रविवासरः
5.	वसन्तपंचमी	01	29.01.2020	बुधवासरः
6.	जनवरीमासे कार्यदिवसाः	–	15 कार्यदिवसाः	–
7.	द्वितीयशनिवासरः	01	08.02.2020	शनिवासरः
8.	रविदासजयन्ती	01	09.02.2020	रविवासरः
9.	महाशिवरात्रिः	01	21.02.2020	शुक्रवासरः
10.	फरवरीमासे कार्यदिवसाः	–	23 कार्यदिवसाः	–
11.	होलिकोत्सवः	02	09.03.2020 तः 10.03.2020 पर्यन्तम्	सोमवासरतः मंगलवासरपर्यन्तम्
12.	द्वितीयशनिवासरः	01	14.03.2020	शनिवासरः
13.	नवरात्रिप्रतिपदा	01	25.03.2020	बुधवासरः
14.	मार्चमासे कार्यदिवसाः	–	22 कार्यदिवसाः	–
15.	रामनवमी	01	02.04.2020	गुरुवासरः
16.	महावीरजयन्ती	01	06.04.2020	सोमवासरः
17.	गुडफ्राई–डे	01	10.04.2020	शुक्रवासरः
18.	द्वितीयशनिवासरः	01	11.04.2020	शनिवासरः
19.	अप्रैलमासे कार्यदिवसाः	–	23 कार्यदिवसाः	–
20.	बुधपूर्णिमा	01	07.05.2020	गुरुवासरः
21.	द्वितीयशनिवासरः	01	09.05.2020	शनिवासरः
22.	सत्रीय मूल्यांकनपरीक्षा	20	12.05.2020 तः 31.05.2020 पर्यन्तम्	मंगलवासरतः रविवारपर्यन्तम्
23.	जमात–उल–विदाः	01	22.05.2020	शुक्रवासरः
24.	मईमासे कार्यदिवसाः	–	23 कार्यदिवसाः	–
25.	द्वितीयसत्रांशे कार्यदिवसाः		(15+23+22+23+23) =106 दिवसाः	
26.	ग्रीष्मावकाशः	45	–	–

*अवकाशतिथिषुपरिवर्तनंसम्भाव्यते।

प्रथम–द्वितीयसत्रयोः शिक्षणदिवसाः =(104+106) = 210

सन् 2019 अर्थात् शक संवत् 1940–41 की सार्वजनिक अवकाशों की अनुसूची

क्र.सं.	त्यौहारों का नाम	ग्रिगेरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक संवत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1.	श्री गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती	13 जनवरी 2019	13 पौष 1940	रविवार
2.	गणतन्त्र दिवस	26 जनवरी 2019	06 माघ 1940	शनिवार
3.	महा शिवरात्रि	04 मार्च 2019	13 फाल्गुन 1940	सोमवार
4.	होलीका दहन	20 मार्च 2019	29 फाल्गुन 1940	बुद्धवार
5.	होली	21 मार्च 2019	30 फाल्गुन 1940	बृहस्पतिवार
6.	वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक लेखाबन्दी	01 अप्रैल 2019	11 चैत्र 1940	सोमवार
7.	चेटीचन्द	06 अप्रैल 2019	16 चैत्र 1941	शनिवार
8.	रामनवमी	13 अप्रैल 2019	23 चैत्र 1941	शनिवार
9.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयन्ती	14 अप्रैल 2019	24 चैत्र 1941	रविवार
10.	महावीर जयन्ती	17 अप्रैल 2019	27 चैत्र 1941	बुद्धवार
11.	गुड फ्राइडे	19 अप्रैल 2019	19 अप्रैल 2019	शुक्रवार
12.	बुद्ध पूर्णिमा	18 मई 2019	28 बैसाख 1941	शनिवार
13.	सोमवती अमावस्या	03 जून 2019	13 ज्येष्ठ 1941	सोमवार
14.	*ईद–उल–फितर	05 जून 2019	15 ज्येष्ठ 1941	बुद्धवार
15.	गंगा दशहरा	12 जून 2019	27 ज्येष्ठ 1941	बुद्धवार
16.	*ईद–उल–जुहा	12 अगस्त 2019	21 श्रावण 1941	सोमवार
17.	स्वतन्त्रता दिवस	15 अगस्त 2019	24 श्रावण 1941	बृहस्पतिवार
18.	जन्माष्टमी	23 अगस्त 2019	01 भाद्रपद 1941	शुक्रवार
19.	*मोहर्रम	10 सितम्बर 2019	19 भाद्रपद 1941	मंगलवार
20.	विश्वकर्मा पूजा	17 सितम्बर 2019	26 भाद्रपद 1941	मंगलवार
21.	पितृ विसर्जन अमावस्या	28 सितम्बर 2019	14 आश्विन 1941	शनिवार
22.	महात्मा गाँधी जयन्ती	02 अक्टूबर 2019	10 आश्विन 1941	बुद्धवार
23.	दशहरा	08 अक्टूबर 2019	16 आश्विन 1941	मंगलवार
24.	महर्षि वाल्मीकि जयन्ती	13 अक्टूबर 2019	21 आश्विन 1941	रविवार
25.	दीपावली	27 अक्टूबर 2019	05 कार्तिक 1941	रविवार
26.	दीपावली (गोवर्धन पूजा)	28 अक्टूबर 2019	06 कार्तिक 1941	सोमवार
27.	*ईद–ए–मिलाद/मिलाद–उल–नबी बारावफात	10 नवम्बर 2019	19 कार्तिक 1941	रविवार
28.	गुरु नानक जयन्ती	12 नवम्बर 2019	07 कार्तिक 1941	मंगलवार
29.	गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस	01 दिसम्बर 2019	10 मार्गषीर्श 1941	रविवार
30.	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर 2019	04 पोष 1941	बुद्धवार

निबन्धित अवकाशों की सूची जिनमें से राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी सेवक अपने विकल्प के अनुसार केवल दो ही अवकाश ले सकते हैं।

क्र.	त्यौहारों का नाम	ग्रिगेरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक संवत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1.	नव वर्ष दिवस	01 जनवरी 2019	11 पौष 1940	मंगलवार
2.	मकर संक्रान्ति	15 जनवरी 2019	25 पौष 1940	मंगलवार
3.	बसंत पंचमी	10 फरवरी 2019	21 माघ 1940	रविवार
4.	गुरु रविदास जन्म दिवस	19 फरवरी 2019	30 माघ 1940	मंगलवार
5.	बैशाखी	13 अप्रैल 2019	23 चैत्र 1941	शनिवार
6.	ईस्टर सैटर–डे	20 अप्रैल 2019	30 चैत्र 1941	शनिवार
7.	*शब–ए–बारात	21 अप्रैल 2019	01 बैसाख 1941	रविवार
8.	ईस्टर मन–डे	22 अप्रैल 2019	02 बैसाख 1941	सोमवार
9.	वीर केशरीचन्द शहीद दिवस	03 मई 2019	21 चैत्र 1941	शुक्रवार
10.	*जमात–उल–विदा	31 मई 2019	10 ज्येष्ठ 1941	शुक्रवार
11.	हरेला	18 जुलाई 2019	असाड 1941	मंगलवार
12.	रक्षा बन्धन/बग्वाल	15 अगस्त 2019	24 श्रावण 1941	बृहस्पतिवार
13.	अनन्त चतुर्दशी	12 सितम्बर 2019	21 भाद्रपद 1941	बृहस्पतिवार
14.	महाराजा अग्रसैन जयन्ती	29 सितम्बर 2019	07 आश्विन 1941	रविवार
15.	दशहरा (महा अष्टमी)	06 अक्टूबर 2019	14 आश्विन 1941	रविवार
16.	दशहरा (महानवमी)	07 अक्टूबर 2019	15 आश्विन 1941	सोमवार
17.	*चैहल्लुम	19 अक्टूबर 2019	27 आश्विन 1941	शनिवार
18.	दीपावली (नरक चतुर्दशी)	26 अक्टूबर 2019	04 कार्तिक 1941	शनिवार
19.	भैयादूज (यम द्वितीय)	20 अक्टूबर 2019	07 कार्तिक 1941	मंगलवार
20.	छट पूजा	02 नवम्बर 2019	11 कार्तिक 1941	शनिवार
21.	क्रिसमस (पूर्व संध्या)	24 दिसम्बर 2019	03 पौष 1941	मंगलवार

* यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे।

नोट :– स्थानीय अवकाश माननीय जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश पर प्रभावी होंगे।

प्रवेशनियमाः

(प्रवेश आवेदन पत्रों का ऑनलाईन भरा जाना सम्भव है)

1. विधिमान्य-संस्थया प्राक्शास्त्री/उत्तरमध्यमा अथवा संस्कृतविषयेण सह तत्सकमकक्षपरीक्षा (इन्टरमीडिएट) 40% अंकैः उत्तीर्णः अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी शास्त्रीप्रथमवर्षे प्रवेशाय अर्हः/अर्हा भविष्यति। इन्टरमीडिएटस्तरे येषां छात्राणां संस्कृतविषयः नास्ति, तेषां शास्त्रिकक्षायामस्थायिप्रवेशः भविष्यति। एतादृशैः छात्रैः संस्कृतप्रमाणपत्रस्य परीक्षा देया भविष्यति। परीक्षामुत्तीर्य तेषां प्रवेशः सम्भविष्यति। अनुत्तीर्णानां प्रवेशो निरस्तो भविष्यति। एतदर्थं शपथपत्रमपि छात्रैः दातव्यम्। शास्त्री प्रथमवर्षे 20-6-2017 सत्रत् विकल्पाधारिता गुणांकव्यवस्था (C.B.C.S.) प्रवृत्ता वर्तते।
2. प्रवेशसमये मूलप्रमाणैः सह सम्बन्धितस्य विभागाध्यक्षस्य सम्मुखे उपस्थितिरनिवार्या।
3. प्रवेशतिथेरनन्तरम् अविचारितावेदनपत्राणां निरस्तीकरणं स्वत एव भविष्यति।
4. उत्तराखण्डराज्ये अन्यप्रदेशेभ्यः समागतेभ्यः छात्रेभ्यः/छात्राभ्यश्च आरक्षिसत्यापनप्रमाणपत्रम् अनिवार्यं भविष्यति।
5. सी.बी.एस.ई. द्वारा अंगीकृता ग्रेडिंग व्यवस्था विश्वविद्यालये प्रवेशाय स्वीक्रियते।
6. विश्वविद्यालये प्रवेशप्राप्तेः अनन्तरमपि यदि कस्याऽपि छात्रस्य छात्रायाः वा अनुशासनहीनतायां संलिप्तता दृश्यते चेत् तस्य/तस्याः प्रवेशनिरस्तीकरणस्याधिाकारो विश्वविद्यालयस्य पार्श्वे भविष्यति।
7. विश्वविद्यालये प्रविष्टाः छात्रः एकस्मिन्नेव सत्रे अन्यत्र प्रवेशाय अनर्हाः भविष्यन्ति। यदि कश्चन छात्रः एवं करोति चेत् सः स्वविरोधे अनुशासनात्मकप्रक्रियार्थं स्वयमेवोत्तरदायी भविष्यति।
8. भारतसर्वकारस्यादेशानुपालनाय स्नातकस्तरे पर्यावरणविषयस्याध्ययनमावश्यकं भविष्यति।
9. ये छात्राः बी.ए. (संस्कृतम्) तत्समं वा उपाधिं प्राप्तवन्तः, ते आचार्यस्तरे साहित्यम्/धर्मशास्त्रम्/सांख्ययोगः/दर्शनम्/फलितज्योतिषम्/ कर्मकाण्डविषयं स्वीकर्त्तुं समर्थाः भविष्यन्ति।
10. यः छात्रः/छात्रा विश्वविद्यालयसम्बद्धे कस्मिंश्चिदपि महाविद्यालये अध्ययनरतः/ अध्ययनरता अस्ति। यदि सः छात्रः/ सा छात्रा सत्रमध्ये शास्त्रिकक्षायाः द्वितीये/तृतीये/चतुर्थे/पंचमे/षष्ठे सत्रे आचार्यकक्षायाःद्वितीये/तृतीये/चतुर्थे सत्रे प्रवेशमिच्छेत्तर्हि अधोनिर्दिष्टेष्वनुबन्धेषु उक्तः छात्रः/छात्रा अपि विश्वविद्यालयस्य विभिन्नेषु विभागेषु प्रवेशाय अर्हः/अर्हा भविष्यति-

    क) विश्वविद्यालयीयसम्बद्धविभागे स्थानं रिक्तं भवेत्।

    ख) सत्रमध्ये शास्त्रि/आचार्य-कक्षासु प्रवेशेच्छुना अभ्यर्थिना विश्वविद्यालयीय-सम्बद्धविभागाध्यक्ष-सम्बद्धमहाविद्यालयीयप्राचार्ययोः पारस्परिकसम्मतिपत्रं (अनापत्ति/स्वीकृतिपत्रम्) निर्धारितप्रवेशशुल्केन अपेक्षितपत्रैश्च सह कार्यालये प्रस्तोतव्यं भविष्यति।

    ग) सत्रस्य मध्ये प्रवेशाय पूर्वपरीक्षायां प्रतिशतं न्यूनतमैः षष्टया अङ्कैः सह उत्तीर्णः छात्रः अर्ह भविष्यति।

घ) उक्तप्रवेशप्रक्रिया परीक्षाफलप्रकाशनतिथितः आरम्भ्य 15 दिनाश्यन्तरे सम्पन्ना भविष्यति। उक्तावधेरनन्तरं प्रवेशप्रक्रिया न सम्भविष्यति।

ङ) शिक्षाशास्त्रिप्रवेशादौ विश्वविद्यालयीयछात्रत्वारक्षणलाभः तस्मै छात्राय एवं दास्यते यः विश्वविद्यालयतः शास्त्रिकक्षायां न्यूनतमचतुर्ण्णाम् आचार्यकक्षायां न्यूनतमत्रयाणां च सत्राणां परीक्षासु उत्तीर्णः स्यात्।

प्रवेश नियम

(प्रवेश आवेदन पत्रों का ऑनलाईन भरा जाना सम्भव है)

1. विधिमान्य संस्था से प्राक्शास्त्री/उत्तमध्यमा अथवा संस्कृत विषय के साथ तत्समकक्ष परीक्षा (इण्टरमीडिएट/सीनियर सेकेण्डरी) 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी–अभ्यर्थिनी शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे। इण्टरमीडिएट स्तर पर जिन छात्रों के पास संस्कृत विषय नहीं है, ऐसे छात्रों को शास्त्री प्रथम वर्ष में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य होगा। छात्रों को प्रथम वर्ष के दौरान संस्कृत प्रमाणपत्र की परीक्षा देनी होगी, जिसमें उत्तीर्ण होने पर ही उनका प्रवेश स्वीकार होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जायेगा। एतदर्थ छात्रों को शपथपत्र देना होगा। शास्त्री प्रथम वर्ष में सत्र 2017–18 से विकल्प आधारित गुणांक (C.B.C.S.) प्रवृत्त है।
2. प्रवेश के समय मूल प्रमाण पत्रों के साथ सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के सम्मुख उपस्थित होना होगा।
3. प्रवेश तिथि के बाद अविचारित आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे।
4. उत्तराखण्ड राज्य में अन्य प्रदेशों से आये हुए छात्र/छात्राओं को पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा।
5. सी.बी.एस.ई. द्वारा अंगीकृत ग्रेडिंग व्यवस्था को विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए स्वीकार किया जाता है।
6. विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्ति के पश्चात् यदि कोई छात्र/छात्रा अनुशासनहीनता में लिप्त पाया जाता है तो विश्वविद्यालय के पास उसके प्रवेश के निरस्तीकरण का अधिकार होगा।
7. विश्वविद्यालय में प्रविष्ट छात्र/छात्राएँ एक ही सत्र में अन्यत्र प्रवेश नहीं ले सकेंगे। यदि कोई छात्र/छात्रा ऐसा करता है तो वह अपने विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में स्नातक स्तर के पर्यावरण विषय का अध्ययन अनिवार्य रूप से करना होगा।
9. जिन छात्रों ने शास्त्री/बी.ए. (संस्कृत) की उपाधि प्राप्त कर ली है, वे आचार्य स्तर में साहित्य/फलित ज्योतिष सर्वदर्शन कर्मकाण्ड विषय में प्रवेश ले सकते हैं।
10. जो छात्र/छात्रा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं। यदि वह छात्र/छात्रा सत्र के मध्य शास्त्रि द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठ सेमिस्टर में तथा आचार्य द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमिस्टर में प्रवेश लेना चाहे तो निम्नांकित शर्तों पर उक्त छात्र/छात्रा को भी विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में प्रवेश दिया जा सकता है–

क) विश्वविद्यालय सम्बद्ध विभाग में स्थान रिक्त होना चाहिए।

ख) सत्र के मध्य में शास्त्री/आचार्य कक्षाओं में प्रवेश चाहने वाले छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय सम्बद्ध विभागाध्यक्ष एवं सम्बद्ध महाविद्यालयीय प्राचार्य का पारस्परिक सम्मति पत्र (अनापत्ति/स्वीकृति पत्र) निर्धारित प्रवेश शुल्क एवं प्रवेश के लिए अपेक्षित प्रपत्रों के साथ कार्यालय में जमा करना होगा।

ग) सत्र के मध्य में प्रवेश हेतु पूर्व परीक्षा में न्यनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण छात्र/छात्रा ही अर्ह होगा/होगी।

घ) उक्त प्रवेश प्रक्रिया परीक्षाफल निर्गत होने से 15 दिन की अवधि तक ही सम्पन्न होगी। उक्त अवधि के उपरान्त प्रवेश प्रक्रिया सम्भव नहीं होगी।

ङ) शिक्षाशास्त्री प्रवेश आदि में विश्वविद्यालयीय छात्र/छात्रा होने का लाभ उसी छात्र/छात्रा को दिया जायेगा जो विश्वविद्यालय से शास्त्री कक्षा में न्यनतम 04 सेमिस्टर और आचार्य कक्षा में न्यनतम 03 सेमिस्टर की परीक्षाएं उत्तीर्ण किया हो।

प्रवेशाय अपेक्षितानि प्रमाणपत्राणि

1. पूर्वोत्तीर्णपरीक्षाणाम् उत्तीर्णताविषये विश्वविद्यालयपक्षतः अथवा मान्यताप्राप्तसंस्थानतः प्राप्तं प्रमाणपत्रम्।
2. जन्मतिथिप्रमाणपत्रम् (मैट्रिक अथवा तत्समकक्षपरीक्षायाः प्रमाणपत्रम् यस्मिन् जन्मतिथिरपि प्रमाणिता स्यात्)।
3. चरित्रप्रमाणपत्रम् (पूर्वसंस्थया प्रमाणितम्)
4. स्थानान्तरणप्रमाणपत्रम् (टी.सी.)/निष्क्रमणप्रमाणपत्रम् (माइग्रेशन सार्टिफिकेट) (विश्वविद्यालयः विशेषपरिस्थितिषु कमपि छात्रं स्थानान्तरणप्रमाणपत्रं/ निष्क्रमणप्रमाणपत्रञ्च भविष्ये प्रवेशानन्तरं समर्पयितुं/दातुं वा समयं प्रदास्यति, परं यदि निश्चितावधौ प्रमाणपत्रं न दीयते तर्हि तस्य छात्रस्य प्रवेशो निरस्तो भविष्यति।)
5. पूर्वपरीक्षायाः अङ्कपत्रम् (मार्कशीट)।
6. क्रीडा/पाठ्येतरक्रियाणां प्रवीणताप्राप्तेः प्रमाणपत्रम् (यदि स्यात्)।
7. आधारस्य छायाप्रति।

प्रवेश के लिए अपेक्षित प्रमाणपत्र

1. पूर्वोत्तीर्ण परीक्षाओं के उत्तीर्णता विषयक विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त प्रमाण पत्र।
2. जन्मतिथि प्रमाण पत्र (मैट्रिक अथवा तत्समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र) जिनमें जन्मतिथि भी प्रमाणित हो।
3. चरित्र प्रमाण पत्र (पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित)
4. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.)/निष्क्रमण प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट)। विशेष परिस्थिति में इस प्रमाणपत्र के अभाव में अस्थायी प्रवेश दिया जा सकता है। किन्तु प्रदत्त अवधि में यह प्रमाणपत्र जमा न करने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
5. पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षा का अंकपत्र।
6. क्रीडा/पाठ्येतर कार्यकलापों में प्रवीणता प्राप्ति का प्रमाणपत्र (यदि हो)।
7. आधार कार्ड की छायाप्रति।

प्रवेशनिरसनं प्रतीक्षकाणां प्रवेशश्च

ये छात्राः प्रवेशे सत्यपि प्रवेशसम्बन्धिनीम् औपचारिकतां यथासमयं न पूरयन्ति तेषां नाम प्रवेश-सूचीतः स्वत एव निरस्तं भविष्यति, तथा च तस्य स्थाने प्रतीक्षासूचिस्थितानां छात्राणां वरीयताक्रमणे प्रवेशो भविष्यति।

प्रवेश-निरस्ति और प्रतीक्षकों का प्रवेश

जो छात्र प्रवेश स्वीकृत हो जाने पर प्रवेश सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं यथा समय पूर्ण नहीं करेंगे उनके नाम प्रवेश सूची से निरस्त कर दिये जायेंगे तथा उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में रखे गये छात्रों को वरीयता क्रम में प्रवेश दिया जायेगा।

विशेष-सूचना

यदि कस्यचित् छात्रस्य छात्रायाः वा आवेदनपत्रेषु प्रमाणपत्रेषु च कापि असत्या सूचना प्राप्यते अथवा उत्तराखण्ड-संस्कृत-विश्वविद्यालयद्वारा निर्धारितयोग्यताः अपूर्णाः सन्ति चेद् आरम्भे प्रवेशे जातेऽपि झटिति तस्य छात्रस्य प्रवेशो निरस्तो भविष्यति। अथ च तत्कृते विश्वविद्यालयस्य किमपि उत्तरदायित्त्वं न भविष्यति। षाण्मासिक-प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमेषु कार्यालयादिषु सेवारताः अभ्यर्थिनोऽपि प्रवेशं नेतुं शक्नुवन्ति। विश्वविद्यालयद्वारा विवरणिकायामस्याम्, इतः प्राक् अथवा समये-समये प्रकाशितेषु नियमेषु विभेदे सति विश्वविद्यालयद्वारा निर्दिष्टनियमाः एव अन्तिमरूपेण स्वीकार्याः भविष्यन्ति। विश्वविद्यालयस्य जालपुटम् www.usvv.ac.in नवीनतमसूचनानामवलोकनार्थं नूनं द्रष्टव्यम्।

विशेष सूचना

आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रादि में कोई भी असत्य सूचना देने पर और उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यताओं में कमी होने पर आरम्भ में प्रवेश हो भी गया हो तो भी बिना कारण बताये उस छात्र का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और इसके लिए विश्वविद्यालय का कोई भी उत्तरदायित्त्व नहीं होगा। छः मास के प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमों में कार्यालय आदि में सेवारत अभ्यर्थी भी प्रवेश ले सकेंगे।

विश्वविद्यालय द्वारा इस विवरणिका में, इनसे पूर्व या समय-समय पर प्रकाशित या निर्दिष्ट नियमों में अन्तर होने पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट नियम अन्तिम रूप से स्वीकार्य होंगे। नवीन जानकारियों के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.usvv.ac.in अवश्य देखें।

विश्वविद्यालयपरिसरे सञ्चालितपाठ्यक्रमाः शुल्कविवरणञ्च

क्र.सं.	पाठ्यक्रमनाम	अवधिः	उपलब्धविषयाः		प्रवेशार्हता	शुल्कविवरणम्	
						शिक्षणशुल्कम्	परीक्षाशुल्कम्
			परम्परागतपाठ्यक्रमाः				
01	शास्त्री (सम्मानित) बी.ए. (आनर्स)	त्रिवर्षीयः	शुक्लयजुर्वेद नव्यव्याकरणम् ज्योतिषम् साहित्य	25	उत्तरमध्यमा/ इण्टरमीडियएट/ समकक्षः 40%	1200.00	600.00
02	आचार्यः (एम.ए.) (सेमेस्टर पद्धतिः)	द्विवर्षीयः	शुक्लयजुर्वेद नव्यव्याकरणम् ज्योतिषम् साहित्यम् दर्शनम् हिन्दी एवं भाषाविज्ञानम् पत्रकारिता शिक्षाशास्त्रम् इतिहासः	20	स्नातक 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%	1200.00 --- ---	500.00 प्रतिसत्रम् --- ---
03	विद्यावारिधिः (पी-एच.डी.)*		नव्यव्याकरणम् ज्योतिषम् साहित्यम् हिन्दी एवं भाषाविज्ञानम् योगविज्ञानम् शिक्षाशास्त्रम्		स्नातकोत्तर (सम्बन्धिते विषये) 55% अंक		---
04	विशिष्टाचार्यः (एम.फिल.)*		नव्यव्याकरणम् ज्योतिषम् साहित्यम् हिन्दी एवं भाषाविज्ञानम् योगविज्ञानम् शिक्षाशास्त्रम्		स्नातकोत्तरस्तरः (सम्बन्धिते विषये) 55% अंक		---

* पृथक् विवरणिका द्रष्टव्या।

विश्वविद्यालय परिसर में सञ्चालित पाठ्यक्रम व शुल्क विवरण

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधिः	उपलब्ध विषया	प्रवेशार्हता	शुल्कविवरण	
					शिक्षणशुल्क	परीक्षाशुल्क
			परम्परागत पाठ्यक्रम			
01	शास्त्री (सम्मानित) बी.ए. (आनर्स)	त्रिवर्षीय	शुक्लयजुर्वेद नव्यव्याकरण ज्योतिष साहित्य	उत्तरमध्यमा/ इण्टरमीडियएट /समकक्ष 40%	1200.00	600.00
02	आचार्य (एम.ए.) द्विवर्षीय (सेमेस्टर पद्धति)		शुक्लयजुर्वेद नव्यव्याकरण ज्योतिष साहित्य दर्शन हिन्दी एवं भाषाविज्ञान पत्रकारिता शिक्षाशास्त्र इतिहास	स्नातक 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%	1200.00 --- ---	500.00 प्रतिसत्रम् --- ---
03	विद्यावारिधि (पी-एच.डी.)*		नव्यव्याकरण ज्योतिष साहित्य हिन्दी एवं भाषाविज्ञान योगविज्ञान शिक्षाशास्त्र स्नातकोत्तर	सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर 55% अंक		---
04	विशिष्टाचार्य (एम.फिल.)*		नव्यव्याकरण ज्योतिषम् साहित्य हिन्दी एवं भाषाविज्ञान योगविज्ञान शिक्षाशास्त्र	सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर 55% अंक		---

* पृथक विवरणिका देखें।

विश्वविद्यालयपरिसरे सञ्चालितपाठ्यक्रमाः शुल्कविवरणञ्च

क्र.सं.	पाठ्यक्रमनाम	अवधिः	उपलब्ध विषयाः		प्रवेशार्हता	शुल्कविवरणम्	
						शिक्षणशुल्क	परीक्षाशुल्क
			व्यावसायिकपाठ्यक्रमाः				
05	शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)	द्विवर्षीयः			स्नातक-उपाधिः (संस्कृतेन सह)	11,450.00 प्रथम वर्षम्	8,400.00 द्वितीयवर्षम्
06	योगाचार्यः (एम.ए.)	द्विवर्षीय (सेमेस्टर पद्धतिः)	योगविज्ञानम्	65	स्नातक-उपाधिः 40%	10000.00	1000.00 प्रतिसत्रम्
07	आचार्यः	द्विवर्षीय (सेमेस्टर पद्धतिः)	पत्रकारिता जनसंचारश्च	20	स्नातक-उपाधिः 40%	10000.00	---
08	पी.जी.डिप्लोमा	एकवर्षीय (सेमेस्टर पद्धतिः)	योगविज्ञानम् ज्योतिषम् वास्तुशास्त्रम् कर्मकाण्ड-पौरोहित्यम् कम्प्यूटर एप्लीकेशन	40 20 20 20 20	स्नातक-उपाधिः 40%	10000.00	1000.00 प्रतिसत्रम्
09	प्रमाणपत्रम्	षाण्मासिकम्	योगविज्ञानम् कम्प्यूटर एप्लीकेशन संस्कृतम्, कर्मकाण्डम्, कम्युनेकेटिव अंग्रेजी पर्यावरण जागरुकता		उत्तर मध्यमा/ इण्टरमीडिएट/ समकक्ष 40%	6000.00 6000.00 500.00 500.00	6000.00 600.00
12	बी.लिब्.एससी.	एकवर्षीयः	पुस्कालयविज्ञानम्	20	स्नातकः 40%	10000.00	1000.00
13	एम.लिब्.एससी.	एकवर्षीयः	पुस्कालयविज्ञानम्	20	बी.लिब्.एससी 40%	10000.00	1000.00

विश्वविद्यालय परिसर में सञ्चालित पाठ्यक्रम व शुल्क विवरण

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	उपलब्ध विषय	प्रवेशार्हता	शुल्कविवरण	
					शिक्षणशुल्क	परीक्षाशुल्क
			व्यावसायिक पाठ्यक्रम			
05	शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)	द्विवर्षीय		स्नातक–उपाधि संस्कृत के साथ	11,450.00 प्रथम वर्ष	8,400.00 द्वितीयवर्ष
06	योगाचार्य (एम.ए.)	द्विवर्षीय (सेमेस्टर पद्धति)	योगविज्ञान	स्नातक–उपाधि 40%	10000.00	1000.00 प्रतिसत्र
07	आचार्य	द्विवर्षीय (सेमेस्टर पद्धति)	पत्रकारिता एवं जनसंचार	स्नातक–उपाधि 40%	10000.00	---
08	पी.जी.डिप्लोमा	एकवर्षीय (सेमेस्टर पद्धति)	योगविज्ञान ज्योतिष वास्तुशास्त्र कर्मकाण्ड–पौरोहित्य कम्प्यूटर एप्लीकेशन	स्नातक–उपाधि 40%	10000.00	1000.00 प्रतिसत्र
09	प्रमाणपत्र	षाण्मासिक	योगविज्ञान कम्प्यूटर एप्लीकेशन संस्कृत, कर्मकाण्ड, कम्युनेकेटिव अंग्रेजी पर्यावरण जागरुकता	उत्तर मध्यमा/ इण्टरमीडिएट/ समकक्ष 40%	6000.00 6000.00 500.00 500.00	600.00 600.00
12	बी.लिब्.एससी.	एकवर्षीय	पुस्कालयविज्ञान	स्नातक 40%	10000.00	1000.00
13	एम.लिब्.एससी.	एकवर्षीय	पुस्कालयविज्ञान	बी.लिब्.एससी 40%	10000.00	1000.00

परिसर में अध्ययनरत छात्रों के लिए 2500.00 रू0 * पृथक विवरणिका देखें। ** सेवारत अभ्यर्थी भी प्रवेश ले सकते है।

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) सम्बद्धविभिन्नशुल्कानां विवरणम्

1.	प्रवेशपरीक्षाशुल्क:	रु. 1000.00
2.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एकसत्रीयानिवार्यपाठ्यक्रमे प्रवेशाय परामर्श(काउंसलिंग)शुल्क:	रु. 1000.00
प्री.पीएच.डी. एकसत्रीयानिवार्यपाठ्यक्रमाय (कोर्स वर्क) शुल्कानां विवरणम्		
1.	एकसत्रीयानिवार्यपाठ्यक्रम(कोर्स वर्क)आवेदनपत्रशुल्क:	रु. 20.00
2.	एकसत्रीयानिवार्यपाठ्यक्रमाय (कोर्स वर्क) शुल्क:	रु. 1000.00
3.	मासिकशुल्क:	रु. 500.00
4.	पुस्तकालयस्य मासिकशुल्क:	रु. 200.00
5.	पुस्तकालयशुल्क: (सुरक्षाधनराशि:)	रु. 1000.00
6.	परिचयपत्रशुल्क: आहत्य सम्पूर्णधनराशियोग:	रु. 50.00 **रु. 2770.00**
7.	एकसत्रीयानिवार्यपाठ्यक्रमस्य (कोर्स वर्क)परीक्षा –आवेदनपत्रशुल्क:	रु. 20.00
8.	नामाङ्कनशुल्क:	रु. 100.00
9.	परीक्षाशुल्क: आहत्य सम्पूर्णधनराशियोग:	रु. 500.00 **रु. 620.00**
10.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एकसत्रीयानिवार्यपाठ्यक्रम(कोर्स वर्क) लब्धांकपत्र–द्वितीयप्रति–शुल्क:	रु. 200.00
11.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एकसत्रीयानिवार्यपाठ्यक्रम(कोर्स वर्क) परिचयपत्र–द्वितीय प्रति शुल्क	रु. 100.00
12.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एकसत्रीयानिवार्यपाठ्यक्रमे (कोर्स वर्क) उत्तीर्णे सति शोधसमिते: (R.D.C.) उपवेशनं भविष्यति यत्र साक्षात्कारे सम्पन्ने सति पंजीकरण भविष्यति । शुल्कानां विवरणमित्थं भविष्यति –	
विद्यावारिधि (पीएच.डी.) सम्बन्धित शुल्कानां विवरणम्–		
	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पंजीकरणशुल्क:	रु. 5000.00
	त्रैमासिकप्रगतिविवरणशुल्क:	रु. 1050.00
1.	मासिकशुल्क:	रु. 250.00
2.	पुस्तकालयस्य मासिकशुल्क:	रु. 100.00
	आहत्य सम्पूर्णधनराशियोग:	**रु. 350.00**
	पुस्तकालयसुरक्षा–धनराशि: (Refundable)	रु. 1000.00
	शोध–प्रबन्ध समर्पणशुल्क:	रु. 5000.00
	संशोधनान्तरं शोध–प्रबन्ध समर्पणशुल्क:	रु. 5000.00
	उपाधिशुल्क:	रु. 500.00
	अस्थायिप्रमाणपत्र (प्रोविजनल) शुल्क:	रु. 100.00

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों का विवरण

1.	प्रवेश परीक्षा शुल्क	रु. 1000.00
2.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम कोर्स वर्क में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुल्क	रु. 1000.00
प्री.पीएच.डी एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स वर्क) हेतु शुल्कों का विवरण		
1.	एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स वर्क) के आवेदन पत्र शुल्क	रु. 20.00
2.	एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स वर्क) हेतु शुल्क	रु. 1000.00
3.	मासिक शुल्क	रु. 500.00
4.	पुस्तकालय मासिक शुल्क	रु. 200.00
5.	पुस्तकालय शुल्क (सुरक्षा धनराशि)	रु. 1000.00
6.	परिचय पत्र शुल्क	रु. 50.00
	कुल योग	**रु. 2770.00**
7.	एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स वर्क) के परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क	रु. 20.00
8.	नामांकन शुल्क	रु. 100.00
9.	परीक्षा शुल्क	रु. 500.00
	कुल योग	**रु. 620.00**
10.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम-कोर्स वर्क द्वितीय प्रति लब्धांक पत्र शुल्क	रु. 200.00
11.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम-कोर्स वर्क द्वितीय प्रति परिचय पत्र शुल्क	रु. 100.00

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों का विवरण

12.	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स वर्क) उत्तीर्ण करने के पश्चात् शोध समिति (R.D.C.) की बैठक आहूत की जायेगी जिसमें साक्षात्कार सम्पन्न होने के उपरान्त पंजीकरण किया जायेगा। शुल्कों का विवरण निम्नवत् होगा–	
विद्यावारिधि (पीएच.डी.) से सम्बन्धित शुल्कों का विवरण–		
	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पंजीकरण शुल्क	रु. 5000.00
	त्रैमासिक प्रगति विवरण शुल्क	रु. 1050.00
1.	मासिक शुल्क	रु. 250.00
2.	पुस्तकालय मासिक शुल्क	रु. 100.00
	कुल योग	**रु. 350.00**
	पुस्तकालय सुरक्षा–धन (Refundable)	रु. 1000.00
	शोध–प्रबंध जमा कराने का शुल्क	रु. 5000.00
	संशोधन के बाद शोध–प्रबंध जमा करने का शुल्क	रु. 5000.00
	उपाधि शुल्क	रु. 500.00
	अस्थाई प्रमाण पत्र (प्रोविजनल) शुल्क	रु. 100.00

शुल्कविवरणम्

क्र.सं.	विवरणम्	निर्धारितशुल्कः
01	प्रवेशशुल्कः	200.00
02	विभागशुल्कः	100.00
03	परिचय–पत्र–शुल्कः	50.00
04	वाचनालय– पुस्तकालय–शुल्कः	150.00
05	स्थानान्तरणप्रमाणपत्र (टी.सी.) शुल्कः	100.00
06*	निर्धनछात्रसहायताशुल्कः	200.00
07	क्रीड़ाशुल्कः	200.00
08	सांस्कृतिककार्यक्रमशुल्कः	100.00
09	वार्षिकपत्रिकाशुल्कः	100.00
10	अंङ्केक्षणशुल्कः (प्रतिप्रश्नपत्रम्)	100.00
11	संङ्गणक (कम्प्यूटर)शुल्कः	100.00
12	विकासशुल्कः	200.00
13	नामाङ्कनशुल्कः	200.00
14	उपाधिशुल्कः	200.00
15	प्रव्रजनप्रमाणपत्रशुल्कः	100.00
16	छात्रकल्याणपरिषत्–शुल्कः (विश्वविद्यालयीयछात्राणाङ्कृते)	50.00
17	अस्थायिप्रमाणपत्रशुल्कः	50.00
18	प्रमाणपत्र –द्वितीय –प्रति –शुल्कः	200.00
19	अंकपत्र –द्वितीय –प्रति –शुल्कः	50.00
20	पुस्तकालयसुरक्षाराशिः (स्नातकच्छात्राणाङ्कृते)	500.00
21	पुस्तकालय –सुरक्षा –राशिः (स्नातकोत्तरच्छात्राणाङ्कृते)	500.00
22**	क्रीडाशुल्कः (सम्बद्धमहाविद्यालयीयच्छात्राणाङ्कृते)	200.00

*निर्धनच्छात्राणां साहाय्याय मा0 कुलपतिना त्रिसदस्यीया एका समितिः संघटिता भविष्यति ।

**सम्बद्धमहाविद्यालयेभ्यः क्रीड़ाशुल्करूपेण प्रतिछात्रं 200.00 द्विशतात्मको धनराशिः स्वीकरिष्यते ।

शुल्क विवरण

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित शुल्क
01	प्रवेश शुल्क	200.00
02	विभाग शुल्क	100.00
03	परिचय–पत्र–शुल्क	50.00
04	वाचनालय पुस्तकालय शुल्क	150.00
05	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) शुल्क	100.00
06*	निर्धन छात्र सहायता शुल्क	200.00
07	क्रीड़ा शुल्क	200.00
08	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	100.00
09	वार्षिक पत्रिका शुल्क	100.00
10	अंङ्केक्षण शुल्क (प्रति प्रश्नपत्र)	100.00
11	कम्प्यूटर (संङ्गणक शुल्क)	100.00
12	विकास शुल्क	200.00
13	नामांकन शुल्क	200.00
14	उपाधि शुल्क	200.00
15	प्रव्रजन शुल्क	100.00
16	छात्र कल्याण परिषद् शुल्क (विश्वविद्यालय हेतु)	50.00
17	अस्थायी प्रमाणपत्र का शुल्क	50.00
18	प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क	200.00
19	अंकतालिका की द्वितीय प्रति का शुल्क	50.00
20	पुस्तकालय सुरक्षा राशि (स्नातक छात्रों के लिये)	500.00
21	पुस्तकालय सुरक्षा राशि (स्नातकोत्तर छात्रों के लिये)	500.00
22**	क्रीडा शुल्क सम्बद्ध महाविद्यालय हेतु	200.00

* निर्धन छात्रों की सहायता हेतु मा0 कुलपति द्वारा तीन सदस्यों की एक समिति गठित की जोयगी।

** सम्बद्ध महाविद्यालयों से क्रीड़ा शुल्क के रूप में प्रतिछात्र रू. 200.00 लिया जायेगा।

शिक्षाशास्त्रि (बी.एड.) पाठ्यक्रमशुल्क-विवरणम् (शैक्षिकसत्रम् २०१९-२१)

क्र.स.	विवरणम्	शुल्कविवरणम्	प्रथमवर्षाय निर्धारितशुल्क:	द्वितीयवर्षाय निर्धारितशुल्क:
01	प्रवेश-शुल्क:	200.00	200.00	-
02	विभाग-शुल्क:	100.00	100.00	
03	परिचय -पत्र-शुल्क:	50.00	50.00	
04	वाचनालय-पुस्तकालय-शुल्क:	150.00	75.00	75.00
05	स्थानान्तरण (निष्क्रमण) प्रमाणपत्र (टी.सी.) शुल्क:	50.00	50.00	
06	निर्धन-छात्र-सहायता-शुल्क:	50.00	25.00	25.00
07	क्रीड़ा-शुल्क:	150.00	75.00	75.00
08	सांस्कृतिक-कार्यक्रम-शुल्क:	100.00	50.00	50.00
09	शिक्षाशास्त्रीयवार्षिकपत्रिकाशुल्क:	200.00	100.00	100.00
10	स्काउट/गाइड-शुल्क:	100.00	50.00	50.00
11	संकणक (कम्प्यूटर) शुल्क:	200.00	100.00	100.00
12	विकास-शुल्क:	200.00	200.00	
13	नामांकन-शुल्क:	200.00	200.00	
14	उपाधि-शुल्क:	200.00	200.00	
15	छात्र-कल्याण-परिषद्-शुल्क:	50.00	50.00	
16	न्याय (सुरक्षित) धनराशि:	2000.00	2000.00	
17	शिक्षण-शुल्क:	15000.00	7500.00	7500.00
18	परीक्षा-शुल्क:	2000.00	प्रतिसत्रम्	(रू. 500.00)
19	प्रायोगिकपरीक्षा-शुल्क:	250.00	125.00	125.00
20	पुस्तकालयसुरक्षा -धनराशि:	500.00		
21	पत्रिकाशुल्क:	100.00	50.00	50.00
	सम्पूर्ण:योग:	**21,350.00**	**11,450.00**	**8,400.00**

शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) पाठ्यक्रम शुल्क-विवरण (शैक्षिक सत्र 2019-21)

क्र.स.	विवरण	शुल्क विवरण	प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित शुल्क	द्वितीय वर्ष हेतु निर्धारित शुल्क
01	प्रवेश-शुल्क	200.00	200.00	-
02	विभाग-शुल्क	100.00	100.00	
03	परिचय पत्र-शुल्क	50.00	50.00	
04	वाचनालय-पुस्तकालय-शुल्क	150.00	75.00	75.00
05	स्थानान्तरण (निष्क्रमण) प्रमाण पत्र (टी.सी.) शुल्क	50.00	50.00	
06	निर्धन-छात्र-सहायता-शुल्क	50.00	25.00	25.00
07	क्रीड़ा-शुल्क	150.00	75.00	75.00
08	सांस्कृतिक-कार्यक्रम-शुल्क	100.00	50.00	50.00
09	शिक्षाशास्त्रीय वार्षिक पत्रिका शुल्क	200.00	100.00	100.00
10	स्काउट/गाइड-शुल्क	100.00	50.00	50.00
11	कम्प्यूटर (संकणक शुल्क)	200.00	100.00	100.00
12	विकास-शुल्क	200.00	200.00	
13	नामांकन-शुल्क	200.00	200.00	
14	उपाधि-शुल्क	200.00	200.00	
15	छात्र-कल्याण-परिषद्-शुल्क	50.00	50.00	
16	न्याय (सुरक्षित) धनराशि	2000.00	2000.00	
17	शिक्षण-शुल्क	15000.00	7500.00	7500.00
18	परीक्षा-शुल्क	2000.00	प्रति सेमेस्टर	(रू. 500.00)
19	प्रायोगिक परीक्षा-शुल्क	250.00	125.00	125.00
20	पुस्तकालय सुरक्षा राशि	500.00		
21	पत्रिका शुल्क	100.00	50.00	50.00
	सम्पूर्ण योग	**21,350.00**	**11,450.00**	**8,400.00**

विशिष्टाचार्य (एम.फिल्.) सम्बन्धित शुल्कानां विवरणम्

क्र.सं.	विवरणम्	शुल्कः
1.	प्रवेशपरीक्षाशुल्कः	रू. 1000.00
2.	पाठ्यक्रम - प्रवेशाय परामर्श (काउंसलिंग) शुल्कः	रू. 1000.00
3.	पाठ्यक्रमानन्तरं एम.फिल्. पंजीकरणशुल्कः	रू. 5000.00
4.	पाठ्यक्रमानन्तरं एम.फिल्. पञ्जीकरणशुल्कः	रू. 250.00
5.	मासिकशुल्कः	रू. 100.00
6.	पुस्तकालयमासिकशुल्कः	रू. 1000.00
7.	पुस्तकालयसुरक्षा-धनराशिः (Refundable)	रू. 5000.00
8.	शोध-प्रबन्धसमर्पणशुल्कः	रू. 5000.00
9.	संशोधनानन्तरं शोध-प्रबन्धसमर्पणशुल्कः	रू. 5000.00
10.	उपाधिशुल्कः	रू. 500.00
11.	अस्थायिप्रमाणपत्र (प्रोविजनल) शुल्कः	रू. 100.00

विशिष्टाचार्य (एम.फिल्.) से सम्बन्धित शुल्कों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	शुल्क
1.	प्रवेश परीक्षा शुल्क	रू. 1000.00
2.	कोर्स-वर्क में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुल्क	रू. 1000.00
3.	कोर्स-वर्क के बाद एम.फिल्. पंजीकरण शुल्क	रू. 5000.00
4.	कोर्स-वर्क के बाद एम.फिल्. पंजीकरण शुल्क	रू. 250.00
5.	मासिक शुल्क	रू. 100.00
6.	पुस्तकालय मासिक शुल्क	रू. 1000.00
7.	पुस्तकालय सुरक्षा-धन (Refundable)	रू. 5000.00
8.	शोध-प्रबंध जमा कराने का शुल्क	रू. 5000.00
9.	संशोधन के बाद शोध-प्रबंध जमा करने का शुल्क	रू. 5000.00
10.	उपाधि शुल्क	रू. 500.00
11.	अस्थाई प्रमाण पत्र (प्रोविजनल) शुल्क	रू. 100.00

सुरक्षितधनराशिः

क. यदि प्रवेशप्राप्त्यनन्तरं मध्ये छात्रः विश्वविद्यालयं विहाय गमिष्यति, तदा सुरक्षितधनराशेः अतिरिक्तं यत् किमपि शुल्कं स्यात् तद् प्रत्यावर्तितं न भविष्यति।

ख. उपर्युक्तधनराशिः वित्तपत्र (चेक) माध्यमेनैव प्रदास्यते।

ग. सुरक्षितधनराशिः परीक्षाफलस्य प्रकाशनानन्तरम् अथवा सत्रावसानानन्तरम् एव मिलिष्यति।

सुरक्षितधनराशि

क. यदि प्रवेश प्राप्ति के बाद बीच में छात्र विश्वविद्यालय छोड़कर जाता है, तो सुरक्षित धनराशि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।

ख. उपर्युक्त धनराशि केवल चेक माध्यम से ही देय होगी।

ग. सुरक्षित धनराशि परीक्षाफल प्रकाशन या सत्र की समाप्ति के बाद ही मिलेगी।

छात्रकोषः

छात्रकोषः परिसरस्य समितेरधीनो भविष्यति। परिसरस्य संकायसदस्याः समितेः अध्यक्षाः भविष्यन्ति। कक्षासु प्रवेशसमये निर्मितयोग्यतासूचीतः सर्वाभ्यः एकैकशः सर्वप्रथमस्थानं प्राप्त छात्रः समितेः सदस्यो भविष्यति, कोषस्य स्थापनं कोषागारे भविष्यति, तस्य सञ्चालनं समितिप्रमुखाः अनुभागाधिकारिणश्च करिष्यन्ति। निरीक्षणस्य सम्पूर्णमुत्तरदायित्वं लेखानुभागस्य भविष्यति।

छात्र कोष

छात्रकोष परिसर की समिति के अधीन होगा, परिसर के संकाय सदस्य समिति के अध्यक्ष होंगे। कक्षाओं में प्रवेश के समय निर्मित योग्यता सूची से प्रत्येक कक्षा से एक सर्वप्रथम स्थान प्राप्त छात्र समिति का सदस्य होगा, कोष का स्थापन बैंक में होगा, उसका सञ्चालन समिति प्रमुख और अनुभाग अधिकारी करेंगे। निरीक्षण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्त्व लेखानुभाग का होगा।

छात्र-कल्याण-परिषद्

विश्वविद्यालयपरिसरे छात्राणां हिताय नियमानुसारं छात्र-कल्याण-परिषद् कार्यं सम्पादयिष्यति। लिङ्गदोहकमेटी इत्यस्य निर्देशानुसारं छात्र/छात्राणां विविधानां समस्यानां सम्यक् निवारणाय निर्वाचनप्रक्रियया प्रतिवर्षं छात्र-कल्याण-परिषदः गठनं (संघटनं) भवति।

छात्र कल्याण परिषद्

विश्वविद्यालय परिसर में छात्रहित के लिए नियमानुसार छात्र कल्याण परिषद् कार्यों का सम्पादन करेगी। लिङ्गदोहकमेटी के निर्देशानुसार छात्र/छात्राओं की विविध समस्यों के सम्यक् निवारण के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा प्रतिवर्ष छात्र कल्याण परिषद् का गठन होता है।

परिधानम्

विश्वविद्यालयस्य परिसरे प्रत्येक छात्राय/छात्रायै सामान्यपरिधानस्य नियमो वर्तते। अत्याधुनिकपरिधानं धारयित्वा परिसरे न आगच्छेयुः।

परिधान

विश्वविद्यालय के परिसर में प्रत्येक छात्र/छात्राओं के लिए सामान्य परिधान का नियम है। अत्याधुनिक परिधान धारण कर परिसर में न आयें।

अनुशासनम् आचारसंहिता च

विश्वविद्यालयस्य परिसरे छात्र/छात्राणाम् आचरणमुत्तमं भवेत्। अभद्राचरणे कृते सति निष्कासनमपि भविष्यति। अधोलिखितबिन्दुषु छात्रैः छात्राभिश्च कदापि प्रमादो न करणीयः। अन्यथा ते/ताश्च दण्ड्याः भविष्यन्ति।

1. विश्वविद्यालयस्य परिसरे समागतानाम् अतिथीनां कृते अभद्राचरणं न भवेत्।
2. परिसरे अधिकारिणां प्राध्यापकानां कर्मचारिणां कृते अभद्राचरणं न करणीयम्।
3. अपशब्द वक्तारो मिथ्यावादिनः छात्र/छात्राश्च दण्डभागिनो भविष्यन्ति।
4. परिसरे आयोजितेषूत्सवेषूपद्रवे कृते सति छात्र/छात्राश्च दण्डस्य प्रतिभागिनः भविष्यन्ति।
5. छात्रैः/छात्राभिश्च शैक्षणिककार्येषु व्यवधानं न करणीयम् तथा कृति सति ते ताश्च दण्डभाजोभवेयुः।
6. अधिकारिणाम् आदेशस्य उल्लंघनं न करणीयम्।
7. विश्वविद्यालयपरिसरे पूर्णतया धूम्रपानं मद्यपानञ्च निषिद्धं वर्तते।
8. परिसरस्य भित्तिकासु, कक्षासु कस्मिन्नपि स्थाने किमपि लेखनं विज्ञापनसंश्लेषणञ्च निषिद्धं वर्तते।
9. परिसरे परिचयपत्रमावश्यकम्।
10. परिसरस्य सम्पत्तीनां नाशनं/त्रोटनं वा निषिद्धमस्ति, क्षतिग्रस्ते कृते सति संलिप्तानां छात्राणामुपरि आवश्यक-कार्यवाही भविष्यति। परिसरस्य गरिमाणं रक्षयितुं सर्वैः यत्नः करणीयः।
11. परिसरे छात्रा राजनीतिकगतिविधिषु प्रतिभागं न कुर्युः।
12. परिसरे कालांशसमये दूरभाषयन्त्रस्य प्रयोगो न करणीयः।
13. अनुशासनहीनतायां सत्यां कुलानुशासकमण्डलस्य परिसरीयानुशासनसमितेरनुशंसायां माननीयानां कुलपतीनां निर्णयः सर्वमान्यो भविष्यति।

अनुशासन और आचारसंहिता

विश्वविद्यालय के परिसर में छात्र/छात्राओं का आचरण उत्तम होना चाहिए। अभद्राचरण करने पर निष्कासन भी हो सकता है।

निम्नलिखित बिन्दुओं पर छात्र/छात्राओं द्वारा प्रमाद नहीं करना चाहिए। अन्यथा दण्ड के प्रतिभागी होंगे।

1. विश्वविद्यालय परिसर में आये हुए अतिथियों के साथ अभद्र आचरण न हो।
2. परिसर में अधिकारियों, प्राध्यापकों और कर्मचारियों के साथ अभद्र आचरण नहीं करना चाहिए।
3. अपशब्द बोलने वाले तथा मिथ्यावादी छात्र/छात्रा दण्ड के भागी होंगे।
4. परिसर में आयोजित उत्सवों में उपद्रव करने पर छात्र/छात्रा दण्डनीय होंगे।
5. छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक कार्यों में व्यवधान नहीं करना चाहिए।
6. अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
7. विश्वविद्यालय परिसर में धूमपान, मद्यपान पूर्णतया निषिद्ध है।
8. परिसर की दीवारों, कक्षाओं एवं किसी भी स्थान पर कुछ लिखना और विज्ञापन चिपकाना निषिद्ध है।
9. परिसर में परिचय पत्र आवश्यक है।
10. परिसर की सम्पत्ति को नुकसान न पहुँचाएं, क्षति ग्रस्त करने की दशा में दोषी पाये गये छात्र पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। परिसर की गरिमा बनी रहे, अतः अवाञ्छित गतिविधियों में प्रतिभाग न करें।
11. परिसर में छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में प्रतिभाग नहीं करना चाहिए।
12. परिसर में वादन के समय मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है।
13. अनुशासन तोड़ने की दशा में परिसरीय कुलानुशासकमण्डल, अनुशासन समिति की अनुशंसा में माननीय कुलपति महोदय का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

रैगिंग-निषेधः

विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य (यू.जी.सी.) रैगिंग-अधिनियमः 2009 नियमः-6.3(क) दिनाङ्क 17 जून, 2009 इत्यस्य अनुसारं परिसरे रैगिंग-निषेध-समितेः गठनं भवेत्। एतदनुसारं विश्वविद्यालये रैगिंगनिषेधसमितेः गठनं कृतं वर्तते। तथा च परिसरे रैगिंगनिषेधो वर्तते।

विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य रैगिंग-निषेध-अधिनियमः 2009 इत्यस्य नियमः-7 इत्यस्यानुसारं रैगिंगकृते अधोलिखितापराधिकगतिविधयः सम्मिलितास्सन्ति।

1. रैगिंगहेतवे प्रोत्साहनम्।
2. रैगिंग इत्यस्य आपराधिकषड्यन्त्रम्।
3. रैगिंगसमये अवैधरूपेण समवायकरणम् उत्पातकरणञ्च।
4. रैगिंगसमये व्यवधानम्।
5. रैगिंगद्वारा शालीनतायाः नैतिकतायाः उच्छेदीकरणम्।
6. शारीरिकहानिः।
7. अवैधरूपेण अवरोधनम्।
8. आपराधिकबलस्य प्रयोगः।
9. प्रहरणं, यौनसम्बद्धाः अपराधाः अप्राकृतिकापराधाश्च।
10. बलाद्-ग्रहणम्।
11. आपराधिकरूपेण अधिकारं विना वा अपरस्य स्थाने प्रवेशनम्।
12. सम्पत्तिसम्बन्धिनः अपराधाः।
13. आपराधिकरूपेण आधिपत्यम्।
14. आपत्तिग्रस्तानां जनानां कृते उपर्युक्तेषु अपराधेषु अपराधकरणम्।
15. शारीरिकमानसिकरूपेण अपमानः।
16. रैगिंग इत्यस्य परिभाषया सम्बद्धाः सर्वे अपराधाः।

संयोजकः

(एन्टीरैगिंग परिषदः)

रैगिंग निषेध

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.सी.जी.) रैगिंग अधिनियम 2009 के नियम-6.3(क) दिनाङ्क 17 जून 2009 के अनुसार परिसर में रैगिंग निषेध समिति का गठन किया जाना चाहिए तदनुसार ही विश्वविद्यालय परिसर में उक्त समिति का गठन किया गया। विश्वविद्यालय परिसर में रैगिंग करना निषेध है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग निषेध अधिनियम 2009 के नियम-7 के अनुसार रैगिंग के लिए अधोलिखित आपराधिक गतिविधियाँ सम्मिलित हैं।

1. रैगिंग हेतु प्रोत्साहन।
2. रैगिंग के लिए आपराधिक षड्यन्त्र करना।
3. रैगिंग के समय अवैध रूप से एकत्र होना और उत्पात मचाना।
4. रैगिंग के लिए लोगों को उकसाना।
5. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता को भङ्ग करना।
6. शरीर को चोट पहुँचाना।
7. गलत ढंग से रोकना।
8. आपराधिक बल का प्रयोग।
9. प्रहार, यौन सम्बन्धित अपराध और अप्राकृतिक अपराध करना।
10. बलपूर्वक ग्रहण करना।
11. आपराधिक रूप से बिना अधिकार के दूसरे के स्थान में प्रवेश करना।
12. सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध।
13. आपराधिक रूप से धमकी देना और अधिकार जमाना।
14. मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपयुक्त अपराधों में से कोई अपराध करना।
15. शारीरिक और मानसिक रूप से अपमान करना।
16. रैगिंग की परिभाषा सम्बन्धी सभी अपराध।

संयोजक

(एन्टी रैगिंग समीति)

उपस्थिति-अवकाशसम्बन्धिनियमाः

वार्षिकपरीक्षायां प्रवेशार्हता, छात्रवृत्तिप्रदानस्य पात्रतायै च एकस्मिन् शिक्षासत्रे 75% उपस्थितिरनिवार्या अस्ति। अर्थात् छात्रस्य कृते एकस्मिन् शिक्षासत्रे सम्पूर्णव्याख्यान-दिवसेषु 25% अवकाशो मिलिष्यति। विभागस्य पूर्वानुमतिद्वारा छात्रैः नीताः निम्नलिखितावकाशाः छात्रवृत्तिं स्वीकर्तुम् अनुपस्थितिरूपे न आगमिष्यन्ति। 75% उपस्थितिः यदि अस्ति चेत् छात्राः/छात्रा परीक्षायां प्रतिभागं करिष्यन्ति।

1. सम्बन्धितविभागस्यानुशंसायां चिकित्सकीयप्रमाणपत्रं विना एकस्मिन् शैक्षिकसत्रे 10 दिनानि यावत् अवकाशः।
2. एकस्मिन् शैक्षणिकसत्रे 20 दिनानि यावत् चिकित्सकीयावकाशः। यस्मै पञ्जीकृत- चिकित्साधिकारिद्वारा छात्रस्य अस्वस्थतायाः प्रमाणपत्रम् आवश्यकमस्ति।
3. यदि वाञ्छित-उपस्थितिः पूर्णा अस्ति तथापि कश्चन छात्रः रुग्णतायाः कारणात् वार्षिकपरीक्षायां प्रतिभागकरणे असमर्थो भवति, तदा चिकित्साधिकारिद्वारा प्रमाणिते सति सः अग्रिमे वर्षे परीक्षायां पूर्व छात्ररूपेण प्रतिभागं कर्तुं शक्नोति। अग्रिमवर्षे स अध्ययनार्थं कक्षायां समुपस्थितो भवितुमर्हति, परञ्च नियमित छात्रत्वेन स्वीकरणं न भवति। तथा च सः छात्रवृत्तिं ग्रहीतुं न शक्नोति।

उपस्थिति और अवकाश सम्बन्धी नियम

1. वार्षिक परीक्षा में प्रवेश और छात्रवृत्ति भुगतान पात्रता के लिए एक शिक्षा सत्र में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। अर्थात् छात्र को एक शिक्षा सत्र में सम्पूर्ण व्याख्यान दिवसों में 25% अवकाश मिलेंगे। विभाग की पूर्व अनुमति से छात्रों के द्वारा लिए गये निम्नलिखित अवकाश छात्रवृत्ति स्वीकार करने हेतु अनुपस्थित के रूप में नहीं आयेंगे। 75% उपस्थिति होने पर ही परीक्षा में प्रतिभाग कर सकेंगे।
2. सम्बन्धित विभाग की अनुशंसा में चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के बिना एक शैक्षिक सत्र में 10 दिनों का अवकाश।
3. एक शैक्षणिक सत्र में 20 दिनों का चिकित्सकीयावकाश। जिस हेतु पञ्जीकृत-चिकित्साधिकारी द्वारा छात्र का अस्वस्थता प्रमाण पत्र आवश्यक है।
4. यदि वाञ्छित उपस्थिति पूर्ण होने पर कोई भी छात्र रुग्णता के कारण परीक्षा में प्रतिभाग करने में असमर्थ होता है, तो चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र के माध्यम से वह अग्रिम सत्र में पूर्व छात्र के रूप में प्रतिभाग कर सकेगा। अग्रिम वर्ष में अध्ययन हेतु कक्षा में उपस्थित तो हो सकेगा, किन्तु नियमित छात्र के रूप में नहीं और न ही छात्रवृत्ति पा सकेगा।

छात्रवृत्तिः

विश्वविद्यालये अध्ययनरतानां छात्राणां कृते छात्रवृत्तिप्रदानस्य मुख्योद्देश्यं संस्कृतशिक्षा ग्रहणाय प्रोत्साहनम्। राज्यसर्वकारस्य नियमानुसारं मेधाविच्छात्रवृत्तिः शासनेन निर्धारितमानकानुसारं नियतसंख्यायां दीयते।

छात्रवृत्ति

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहन करना है। राज्य सरकार के नियमानुसार मेधावी छात्रवृत्ति शासन से निर्धारित मानकों के अनुसार नियत संख्या में मिलेगी।

दिव्याङ्गानाम् आकस्मिकदुर्घटनायां व्रणितानां छात्राणां कृते लेखकस्य व्यवस्था

1. हस्ते क्षतिग्रस्ते सति लेखकस्य व्यवस्था भविष्यति। तदर्थं राजकीयचिकित्सालयद्वारा अभिप्रमाणितप्रमाणपत्रं परीक्षारम्भात् प्राक् परीक्षानियन्त्रककार्यालये देयम्।
2. स्थायिरूपेण दिव्याङ्गतायां सत्यां लेखकस्य व्यवस्था भविष्यति।
3. नेत्रहीनस्य कृते लेखकस्य व्यवस्था भविष्यति।
4. लेखकस्य योग्यता परीक्षार्थिद्वारा दीयमानायाः परीक्षाया न्यूना स्यात्
5. लेखकस्य सम्पूर्णव्ययस्य परीक्षार्थी स्वयमेव निर्वहणं करिष्यति। परं नेत्रहीनपरीक्षार्थिनां कृते विश्वविद्यालयतः शुल्कं देयं भविष्यति।

दिव्यांग/आकस्मिकदुर्घटना में घायल छात्रों के लिये लेखक की व्यवस्था

1. हाथ में फैक्चर होने पर लेखक की व्यवस्था होगी। उसके लिए राजकीय चिकित्सालय द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से पहले परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय में जमा कराना होगा।
2. स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर लेखक की व्यवस्था होगी।
3. नेत्रहीन के लिये लेखक की व्यवस्था होगी।
4. लेखक की योग्यता परीक्षार्थी द्वारा दी जाने वाली परीक्षा से कम होनी चाहिये।
5. लेखक का सम्पूर्ण व्यय परीक्षार्थी स्वयं निर्वहन करेगा। परन्तु नेत्रहीन परीक्षार्थियों के लिए विश्वविद्यालय पक्ष से शुल्क देय होगा।

पाठ्यसहगामि-क्रियाः

क्रीडापरिषद्- विविधासु क्रीडासु छात्राणां/छात्राणां रुचये कौशलवर्धनाय च अस्य स्थापना जाता। यया माध्यमेन अन्तर्महाविद्यालयीयानाम् एवं अन्तर्विश्वविद्यालयीयानां विविधानां क्रीडानां यथासमयम् आयोजनं भवति।

सांस्कृतिक-परिषद्- विश्वविद्यालये साहित्यिकसांस्कृतिकगतिविधिषु भागग्रहणाय कौशलसम्पादनाय च सांस्कृतिक-परिषदः गठनं कृतमस्ति। समये-समये अन्तमर्हाविद्यालयीयानाम् एवं अन्तर्विश्वविद्यालयीयानां सांस्कृतिक-गतिविधीनां सञ्चालनं भवति।

परामर्शः नियुक्ति-प्रकोष्ठः- विश्वविद्यालये परामर्शः एवं नियुक्ति-प्रकोष्ठस्य स्थापना विहिता। अने माध्यमेन छात्राणां/छात्राणां व्यवसायप्रदानाय सहयोगो दीयते।

राष्ट्रिय-सेवा-योजना (N.S.S.)- शास्त्रिकक्षायाम् अध्ययनरतानां छात्राणां/छात्राणां कृते विश्वविद्यालयपरिसरे राष्ट्रिय-सेवा-योजनायाः सञ्चालनं भवति। राष्ट्रिय-सेवा-योजनाप्रमाणपत्रप्राप्तकर्तृणां प्रवेशार्थिनां कृते शिक्षाशास्त्रि (बी.एड्.)-आचार्ययोः/अन्यासु च प्रतियोगिपरीक्षासु प्रवेशाय अधोलिखितरूपेणाधिमानाङ्काः मिलन्ति।

1.	240 होरा + एकस्मिन् विशेषशिविरे सहभागे कृते सति	03 अङ्काः
2.	240 होरा + द्वयोर्विशेषशिविरयोः सहभागे कृते सति	05 अङ्काः
3.	राष्ट्रिय-एकीकरणशिविरे सहभागे कृते सति	03 अङ्काः
अथवा		
4.	'ए' प्रमाणपत्रम्	05 अङ्काः
5.	'बी' प्रमाणपत्रम्	05 अङ्काः
6.	'सी' प्रमाणपत्रम्	05 अङ्काः

विशेषः-विश्वविद्यालयस्य पाठ्यगतिविधिषु शैक्षणिकगतिविधिषु च प्रतिभागग्रहणे प्राथमिकत्वे प्राप्ते सति, परीक्षायां सर्वोऽचाङ्के प्राप्ते सति उपस्थिति, सद्व्यवहारादि सम्पन्नेभ्यः छात्रेभ्यः विश्वविद्यालयपक्षतः पुरस्कारः प्रमाणपत्रञ्च प्रदास्यते।

सहगामी क्रियाकलाप

क्रीडापरिषद्– विविध क्रीडाओं में छात्र/छात्राओं की रुचि, कुशलता के विकास के लिए इस परिषद् की स्थापना की गई है। जिसके माध्यम से अन्तर्महाविद्यालयीय और अन्तर्विश्वविद्यालयीय विभिन्न क्रीडाओं का आयोजन किया जाता है।

सांस्कृतिक–परिषद्– विश्वविद्यालय में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सहभाग करने हेतु और कौशल सम्पादन के लिए सांस्कृतिक परिषद् का गठन किया है। जिसके माध्यम से समय–समय पर अन्तर्महाविद्यालयीय और अन्तर्विश्वविद्यालयीय सांस्कृतिक गतिविधियों का सञ्चालन होता है।

परामर्श एवं नियुद्धि–प्रकोष्ठ– विश्वविद्यालय में परामर्श एवं नियुक्ति प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। जिसके माध्यम से छात्र/छात्राओं को व्यवसाय प्राप्ति में सहयोग दिया जाता है।

राष्ट्रीय–सेवा–योजना (N.S.S.)– शास्त्री कक्षा में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए विश्वविद्यालयपरिसर में राष्ट्रिय–सेवा–योजना का सञ्चालन होता है। राष्ट्रिय–सेवा–योजना का प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले शिक्षाशास्त्री (बी.एड्.) आचार्य एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेशार्थियों को अधोलिखित रूप से अधिमान अंक मिलते हैं।

7.	240 घण्टा + एक विशेष शिविर में सहभाग करने पर	03 अङ्क
8.	240 घण्टा + दो विशेष शिविर में सहभाग करने पर	05 अङ्क
9.	राष्ट्रिय–एकीकरणशिविर में सहभाग करने पर	03 अङ्क
अथवा		
10.	'ए' प्रमाणपत्र	05 अङ्क
11.	'बी' प्रमाणपत्र	05 अङ्क
12.	'सी' प्रमाणपत्र	05 अङ्क

विशेष–विश्वविद्यालय के पाठ्यगतिविधियों और शैक्षणिकगतिविधियों में प्रतिभाग करने और प्राथमिकता प्राप्त होने पर, परीक्षा में सर्वोच्चाङ्क प्राप्त करने पर उपस्थिति, सद्व्यवहारादि से सम्पन्न छात्रों के लिए विश्वविद्यालय से पुरस्कार और प्रमाणपत्र मिलेगा।

छात्रेभ्यः प्रदेयाः सुविधाः

(क) **पुस्तकालयः**– विश्वविद्यालयपरिसरे पुस्तकालयस्य व्यवस्था वर्तते। यस्मिन् संस्कृतप्राच्यविद्यानां तथा आधुनिकशास्त्राणां ग्रन्थाः समुपलब्धाः सन्ति। अत्र नियमितरूपेण पत्रिकाः समाचारपत्राणि च पठनाय मिलन्ति।

नियमाः– 1. विश्वविद्यालये प्रविष्टाः छात्राः पुस्तकालये पुस्तकालयधनराशिं दत्वा सदस्याः भवितुमर्हन्ति।

2. छात्राणां कृते एकमासाय पुस्तकानि देयानि सन्ति। मासानन्तरं नवीनीकरणम् आवश्यकम्। यदि पुस्तकानि निर्धारितसमये न प्रत्यावर्तितानि, तदा पुस्तकानां कृते विलम्बशुल्कं देयं भविष्यति।

3. सन्दर्भग्रन्थाः, दुर्लभानि बहुमूल्यानि पुस्तकानि पुस्तकालयतः न मिलिष्यन्ति।

4. पुस्तके नष्टे क्षतिग्रस्ते वा सति तादृशं पुस्तकां आनीय देयं भविष्यति, नो चेत् नियमानुसारं तस्य मूल्यं देयं भविष्यति।

5. पुस्तकेषु लेखनी–मसीत्यादीनां प्रयोगो वर्जितः।

6. वार्षिकपरीक्षायाः अनन्तरम् एकसप्ताहाभ्यन्तरे पुस्तकानां प्रत्यावर्तनं करणीयम्। अन्यथा परीक्षापरिणामः उद्घोषितो न भविष्यति।

7. सदस्य छात्रेभ्यः त्रीणि पाठकपत्राणि पुस्तकालयतः मिलिष्यन्ति, यानि अहस्तान्तरणीयानि भवन्ति।

8. पुस्तकालये कोलाहलं न कर्तव्यम्, पत्रिकाः पठित्वा यथास्थानं स्थापनीयाः। स्वीकृतिं विना कस्यापि पुस्तकस्य पत्रिकायाश्च बहिर्नयनं न भविष्यति।

9. पुस्तकालयस्य नियमानामुच्छेदे सति सदस्यानां सदस्यतासमाप्तेः अधिकारः विश्वविद्यालयस्य पार्श्वेऽस्ति।

10. आवश्यकतायां सत्यां समयात् प्रागेव पुस्तकालये पुस्तकानि प्रत्यावर्तितानि करणीयानि भविष्यन्ति।

(ख) **संगणककक्षः**– छात्राणामुपयोगाय परिसरे एकः सुसज्जितः संगणककक्षः वर्तते।

छात्रों को प्रदेय सुविधाएँ

(क) **पुस्तकालय**- विश्वविद्यालयपरिसर में सुसमृद्ध सुविशालतम पुस्तकालय की व्यवस्था है जिसमें संस्कृतप्राच्यविद्याओं के तथा आधुनिकशास्त्रों के ग्रन्थ हैं। यहाँ पर नियमित रूप से पत्रिकाऐं और समाचार पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं।

नियम-

1. विश्वविद्यालय में प्रविष्ट छात्र पुस्तकालय में पुस्तकालय धनराशि देकर सदस्य हो सकते हैं।
2. छात्रों के लिए एक महीने के लिए पुस्तकें देय होंगी। महीने बीतने के बाद नवीनीकरण आवश्यक होगा। यदि पुस्तक निर्धारित समय में न लौटाई गई तो विलम्ब शुल्क देय होगा।
3. सन्दर्भग्रन्थ, दुर्लभ और बहुमूल्य पुस्तकें पुस्तकालय से नहीं मिलेंगी।
4. पुस्तकों के खो जाने एवं क्षतिग्रस्त होने पर वैसी ही पुस्तक लाकर देनी होगी, अन्यथा नियमानुसार उसका मूल्य देना होगा।
5. पुस्तकों में लेखनी एवं स्याही इत्यादि का प्रयोग वर्जित है।
6. वार्षिक परीक्षा हो जाने के एक सप्ताह के अन्दर पुस्तकें लौटानी चाहिए। अन्यथा परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होगा।
7. सभी सदस्य छात्रों को तीन पाठक पत्र पुस्तकालय से मिलेंगे। ये अहस्तान्तरीय होंगे।
8. पुस्तकालय में कोलाहल न करें। पत्रिका पढ़कर यथास्थान रखें। स्वीकृतिं के बिना कोई भी पुस्तक या पत्रिका बाहर न ले जायें।
9. पुस्तकालय के नियमों को भंग करने पर सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।
10. आवश्यक होने पर समय से पहले ही पुस्तकें वापस करनी होगी।

(ख) **संगणककक्ष**- छात्रों के उपयोग के लिए परिसर में एक सुसज्जित संगणक कक्ष है।

विश्वविद्यालयस्य समितयः

विश्वविद्यालये वार्षिकगतिविधीनां सुव्यवस्थित-सुचारुरूपेण संचालनाय प्रमुखतः अधोलिखितानां समितीनां/संघटनं विहितमस्ति एतदतिरिक्तम् आवश्कतानुसारमुपसमितीनां गठनमपि भवितुं शक्नोति।

1. प्रवेशसमितिः
2. कुलानुशासक मण्डलम्, अनुशासनसमितिः
3. पुस्तकालयसमितिः
4. क्रीडासमितिः
5. सांस्कृतिक परिषद्
6. छात्रवृत्तिसमितिः
7. छात्र-कल्याण-परिषद्
8. रैगिंग-निषेध-समितिः
9. व्यक्तित्व-संवर्धन-जीविका-नियोजन-परामर्शसमितिः
10. सूचना-अधिकार-प्रकोष्ठः (R.T.I. CELL)
11. राष्ट्रिय-सेवा-योजना-समितिः (N.S.S.)
12. शिकायतनिवारणप्रकोष्ठः
13. आन्तरिकगुणवत्ता आश्वासनप्रकोष्ठः
14. अल्यूमनाई संगठनम्
15. पैरेन्ट टीचर्स असोसिएशन
16. स्वच्छता-समितिः
17. कैशलेसइकोनामी समितिः

विश्वविद्यालय की समितियाँ

विश्वविद्यालय में वार्षिक गतिविधियों के सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रमुखतः निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है। इनके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार परिसर द्वारा कुछ उपसमितियों का गठन भी किया जा सकता है।

1. प्रवेश समिति
2. कुलानुशासक मण्डल, अनुशासन समिति
3. पुस्तकालय समिति
4. क्रीड़ा समिति
5. सांस्कृतिक समिति
6. छात्रवृत्ति समिति
7. छात्र कल्याण परिषद्
8. रैगिंग निषेध समिति
9. व्यक्तित्व संवर्धन रोजगार नियोजन परामर्श समिति
10. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ (R.T.I. CELL)
11. राष्ट्रीय सेवा योजना समिति (N.S.S.)
12. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
13. आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
14. अल्यूमनाई संगठन
15. पैरेन्ट टीचर्स एसोसिएशन
16. स्वच्छता समिति
17. कैशलेस इकोनामी समिति

उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालय, हरिद्वार से सम्बद्ध महाविद्यालयों की सूची

1. श्रीभगवानदासआदर्शसंस्कृतमहाविद्यालय, हरिद्वार।
2. श्री ऋषिकुलविद्यापीठब्रह्मचर्याश्रम, हरिद्वार।
3. श्री ऋषिसंस्कृतमहाविद्यालय, निर्धन निकेतन, खड़खड़ी, हरिद्वार।
4. श्रीगुरुकुलमहाविद्यालय, ज्वालापुर हरिद्वार।
5. श्री जय भारतसाधुसंस्कृतमहाविद्यालय, सं0 तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार।
6. श्रीजगद्देवसिंहसंस्कृतमहाविद्यालय, सप्तऋषि आश्रम, सप्तसरोवर हरिद्वार।
7. श्रीरामानुजश्रीवैष्णवसंस्कृतमहाविद्यालय, हरिद्वार।
8. श्रीजगद्गुरुश्रीचन्दसंस्कृतमहाविद्यालय, भगवद्धाम हरिद्वार।
9. श्रीउदासीनसंस्कृतमहाविद्यालय, पंचायती अखाड़ाबड़ा कनखल हरिद्वार।
10. श्रीगरीबदासीय साधुसंस्कृतमहाविद्यालय, जगजीतपुर हरिद्वार।
11. श्रीनिर्मलसंस्कृतमहाविद्यालय, हरिद्वार।
12. श्रीब्रह्मचारीरामकृष्ण संस्कृतमहाविद्यालय, पालीवाल धर्मशाला हरिद्वार।
13. श्रीगुरुमण्डलाश्रमसंस्कृतमहाविद्यालय, हरिद्वार।
14. श्रीजयरामसस्कृतमहाविद्यालय, ऋषिकेश।
15. श्रीदर्शनमहाविद्यालय मुनि की रेती, पो0 शिवानन्द नगर ऋषिकेश।
16. दैवीसम्पद् अध्यात्मसंस्कृतमहाविद्यालय, परमार्थ निकेतन पो0 स्वर्गाश्रम पौड़ी गढ़वाल।
17. श्रीपंजाबसिन्ध क्षेत्र साधुमहाविद्यालय, ऋषिकेश।
18. श्रीमुनीश्वरवेदाष संस्कृतमहाविद्यालय, ऋषिकेश।
19. श्री 108 कालीकमलीवालेरामनाथजी छात्रहितकारिणी संस्कृत पाठशाला ऋषिकेश।
20. श्रीगुरुरामराय लक्ष्मण संस्कृत महाविद्यालय देहरादून।
21. श्रीशिवनाथसंस्कृतमहाविद्यालय, 62, प्रीतमपथ डालनवाला देहरादून।
22. द्रोणस्थलीआर्षकन्यागुरुकुलमहाविद्यालय, किशनपुरदेहरादून।
23. श्रीकेदारनाथसनातन धर्मउपाधि संस्कृत महाविद्यालय, उत्तराखण्ड विद्यापीठ रुद्रप्रयाग।
24. श्रीकेदारनाथआदर्शसंस्कृतमहाविद्यालय शोणितपुर, लमगोण्डी रुद्रप्रयाग।
25. श्रीविश्वनाथस्नातकोत्तरसंस्कृतमहाविद्यालय, उजेली उत्तरकाशी।
26. श्रीबद्रीनाथराजकीय संस्कृत महाविद्यालय, नईटिहरी।
27. राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, चम्बा टिहरी गढ़वाल।
28. श्रीबदरीनाथवेद–वेदांगस्नातकोत्तरसंस्कृतमहाविद्यालय,जोशीमठ चमोली।
29. श्री 1008 स्वामीसच्चिदानन्दसरस्वतीसंस्कृतमहाविद्यालय, मण्डल चमोली।
30. श्री 108 स्वामीसच्चिदानन्दवेदभवनसंस्कृतमहाविद्यालय, रुद्रप्रयाग।
31. श्रीबदरीशकीर्तिसंस्कृतविद्यापीठडिम्मरसिमली चमोली।
32. संस्कृतज्योतिषमहाविद्यालय सटियाना, पो0 थालावैण्ड चमोली।
33. श्रीरघुनाथकीर्तिआदर्शसंस्कृतमहाविद्यालय, देवप्रयागपौड़ी गढ़वाल।
34. श्रीसनातनधर्मसंस्कृतमहाविद्यालय, मयकोटी रुद्रप्रयाग।
35. श्रीजयदयालसंस्कृतमहाविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल।
36. श्रीसरस्वतीसंस्कृतमहाविद्यालय, वसुकेदार रुद्रप्रयाग।
37. श्रीज्वालामुखीसंस्कृतमहाविद्यालय, देवढुंग विनयखाल, टिहरी गढ़वाल।
38. बाराहीदेवीसंस्कृतमहाविद्यालय, देवीधुरा चम्पावत।
39. श्रीमहादेवगिरिस्नातकोत्तरसंस्कृतमहाविद्यालय, हल्द्वानी।
40. श्रीसनातन धर्मसंस्कृतमहाविद्यालय, रेलवे बाजार हल्द्वानी।
41. श्रीनारायण संस्कृतमहाविद्यालय, कमेड़ीदेवी बागेश्वर।

42. श्रीसनातन धर्मसंस्कृतमहाविद्यालय, लण्ढौर मसूरी।
43. श्रीसनातनसत्संगसंस्कृतमहाविद्यालय काशीपुर।
44. बालिकासंस्कृतमहाविद्यालय, सेन्दुलकेमर, टिहरी गढ़वाल।
45. श्रीज्वालपादेवीआदर्शसंस्कृतमहाविद्यालय, पो0–पाटीसैण, जि0–पौड़ी गढ़वाल–246167
46. श्रीमद् दयानन्दआर्षज्योतिर्मठगुरुकुल, आर्यपुरम्, दूनवाटिका भाग–02, पौंधा, देहरादून (उत्तराखण्ड)।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता

47. वैदिकआश्रमगुरुकुलमहाविद्यालय कण्वाश्रम कलालघाटी कोटद्वार।
48. शीतलवैदिकसंस्थान, ग्राम–फलसुआबडकोट, पो0–डाण्डी, वाया–रानीपोखरी देहरादून–248185
49. उत्तरांचल आयुर्वेदिक कालेज राजपुर देहरादून।
50. हिमालयीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, फतेहपुरटाण्डा, जीवनवाला, देहरादून।
51. उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक कॉलेज, रामपुररोड़, हल्द्वानी।
52. हरदेव सिंह संस्कृत कॉलेज, ग्राम–रायपुर मंडैया, पो0–रायपुर, तहसील–जसपुर (ऊधमसिंह नगर)।
53. अनमोल भारतीय उपचार एवं योग संस्थान, निकट उज्ज्वल भवन, जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून।
54. जसपालराणा इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी, देहरादून।
55. यूनिवर्सल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, 102 ताज काम्पलेक्स नजदीक अम्बेडकर चौक, ऋषिकेश।
56. अमृत कॉलेज ऑफ एजुकेशन धनौरी (रुड़की), हरिद्वार।
57. माँ पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चम्पावत।
58. सीताराम डिग्री कॉलेज, रुड़की।
59. संजीवनी योग एवं नेचुरोपैथी संस्थान, खसरा नं.–478, ग्राम–सालियर, मु. परगना, भगवानपुर, तहसील–रुड़की, जिला–हरिद्वार।
60. बी.आर.एस. महाविद्यालय, टीकमपुर, सुल्तानपुर, जनपद–हरिद्वार।
61. एस.जे.एस. ग्रुप ऑफ एजुकेशन (समग्र जनकल्याण समिति) खेड़ा लक्ष्मीपुर, जसपुर, जनपद–ऊधमसिंहनगर।
62. हिमालयन योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, शिक्षण संस्थान, गनगर इन्क्लेव, इन्द्रपुर, जोगीवाला, जनपद–देहरादून।
63. चमनलालमहाविद्यालय, लण्ढौरा, जनपद–हरिद्वार।
64. हरि ओम सरस्वती डिग्री कॉलेज, धनौरी, जनपद–हरिद्वार।
65. सत्त्वयोगपीठ, अमितग्राम–गुमानीवाला, ऋषिकेश।
66. जगन्नाथविश्वाकॉलेज, लालतप्पड़ माजरीग्राण्ट, नजदीक–नेचरविला, हरिद्वार रोड, देहरादून।
67. देवेश्वरी योगपीठ विद्यापीठ, ग्राम–हरिपुरकलाँ, वाया–रायवाला, जनपद–देहरादून।
68. दरमावैदिकसंस्थान, आशुतोषनगर, नेहरु मार्ग, देहरादून रोड, ऋषिकेश।
69. जाहन्वी आयुर्वेदा एवं योग केन्द्र, हरिद्वार।
70. ऋषिकेश योग धाम संस्थान, तपोवन, ऋषिकेश, टिहरी गढ़वाल।
71. विशम्बरसहाय मेडिकलकॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर, रुड़की।
72. मोहिनीदेवीडिग्रीकॉलेज, इकबालपुर रोड, आसफ नगर, रुड़की।
73. महेन्द्र सिंह डिग्री कॉलेज, बुधवा शहीद बुग्गावाला, हरिद्वार।
74. उगते यूनिवर्सल गैरोला टूरिज्म एवं टैक्नीकल एक्सीलेंसी (UGTE) नजदीक नेपाली फॉर्म तिराहा देहरादून रोड, खैरीखुर्द, श्यामपुर, ऋषिकेश।
75. श्री साँई इन्स्टीट्यूट, गोविन्दपुरी, हरिद्वार (मानव शैक्षणिक प्रशैक्षणिक एवं विकास संस्थान, हरिद्वार द्वारा संचालित)।
76. डी.डी. कॉलेज, देहरादून।
77. ऋषि योगसंस्थान, पूर्वीनाथ नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार।
78. रुड़की दिव्य योगसंस्थान, चुड़ियाला रोड, भगवानपुर।
79. आर्यन योग महाविद्यालय, भगेड़ी महावतपुर, रुड़की।
80. श्रीमती मंजीरा देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, रुकमणी नगर, हिटाणू धनारी, उत्तरकाशी।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम	विषय/उपाधि	प्रवेश योग्यता
स्नातक (Graduation)	शास्त्री (B.A.)	10 + 2
	# बी.एड. (B.Ed.)	स्नातक संस्कृत सहित
	बी.लिब एस-सी. (B.Lib. Sc.)	स्नातक
स्नातक शास्त्री एवं स्नातकोत्तर (आचार्य) (M.A.)	संस्कृत साहित्य	स्नातक
	नव्य व्याकरण	स्नातक
	ज्योतिष	स्नातक
	वेद (शुक्ल यजुर्वेद)	स्नातक
	दर्शन	स्नातक
	हिन्दी एवं भाषा विज्ञान	स्नातक
	योग	स्नातक
	इतिहास	स्नातक
	एजुकेशन (शिक्षा शास्त्र)	स्नातक
	एम.ए. (पत्रकारिता)	स्नातक
	एम.लिब. एस-सी. (M.Lib. Sc.)	बी.लिब.
पी.जी. डिप्लोमा (P.G. Diploma)	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	स्नातक
	योग	स्नातक
	ज्योतिष	स्नातक
	वास्तु शास्त्र	स्नातक
	पौरोहित्य एवं कर्मकाण्ड	स्नातक
# एम. फिल. (M.Phil.)/विशिष्टाचार्य पीएचडी (Ph.D)/विद्यावारिधि	संस्कृत-साहित्य	
	नव्य व्याकरण	
	ज्योतिष	
	योग	
	हिन्दी एवं भाषा विज्ञान	
	शिक्षा शास्त्र	
प्रमाणपत्रीय सर्टिफिकेट (Certificate)	योग	10 + 2
	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	10 + 2
	पर्यावरण जागरूकता	10 + 2
	कम्युनिकेटिव अंग्रेजी	10 + 2

विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारीगण

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
01.	प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी	कुलपति	01334-297021
02.	श्री गिरीश कुमार अवस्थी	कुलसचिव	01334-297022
03.	श्री रत्नेश कुमार सिंह	वित्त नियंत्रक	01334-297024
04.	श्री दिनेश कुमार	सहायक कुलसचिव	01334-297028

विश्वविद्यालय में कार्यरत समूह ग एवं घ कर्मचारी

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
01.	श्री विनोद कुमार	कनिष्ठ सहायक	9690793548
02.	श्री सुभाष पोखरियाल	कनिष्ठ सहायक	9917314077
03.	श्री धीरज सिंह	कनिष्ठ सहायक	9639119995
04.	श्री प्रवेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	9358238283
05.	कु0 शिवानी विष्ट	कनिष्ठ सहायक	8761047998
06.	श्रीमती आशारानी	कनिष्ठ सहायक	8958040104
07.	श्री घनश्याम	वाहन चालक	9639958933
08.	श्री राकेश भण्डारी	अनुसेवक	9690417231
09.	श्री अरूण कुमार	अनुसेवक	9759205837
10.	श्री संजय कुमार	अनुसेवक	9675047434
11.	श्री हरीश बन्दूनी	अनुसेवक	9548113479
12.	श्री महेन्द्र सिंह रावत	अनुसेवक	9568236943
13.	श्रीमती चन्द्रकला उप्रेती	अनुसेवक	8938956914
14.	श्रीमती नीतू रानी	अनुसेवक	9568537735
15.	श्रीमती रश्मि	अनुसेवक	8006986571

कुलपति कार्यालय

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
01.	श्री मनोज कुमार गहतोड़ी	निजी सचिव मा. कुलपति	9719280633
02.	श्री त्रिभुवन सिंह	कम्प्यूटर ऑपरेटर	8979751530
03.	श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय	अनुसेवक	7554973660

कुलसचिव कार्यालय

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
01.	श्री चन्दन सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक	9410577581
02.	श्री सूरज डोभाल	कम्प्यूटर ऑपरेटर	9997192803
03.	श्री उम्मेद सिंह	अनुसेवक	9927243732
04.	श्री सुधीर कुमार	अनुसेवक	9837280742
05.	श्री जयकुमार	अनुसेवक	7895641363

वित्त नियंत्रक कार्यालय			
क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**मोबाईल नम्बर**
01.	श्री संदीप जोशी	लेखाकार	9761934834
02.	श्री सुधीर पालीवाल	सहायक लेखाकार	7500242416
03.	श्री धर्मेन्द्र सिंह	कनिष्ठ सहायक	9456175622
04.	श्री राजेन्द्र सिंह	अनुसेवक	9012396988

केन्द्रीयपुस्तकालयभवन			
क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**मोबाईल नम्बर**
01.	सुश्री मनमीत कौर	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	9897500959
02.	श्री चन्द्र प्रकाश पाण्डेय	कैटलॉगर	9411111346
03.	श्री महेन्द्र सिंह रावत	अनुसेवक	9568236943

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में उपनल के माध्यम से कार्यरत समूह ग एवं घ कर्मचारी की सूची

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**मोबाईल नम्बर**
01.	डॉ. महेश चन्द्र ध्यानी	शोध अधिकारी	9411754042
02.	श्री उदयवीर सैनी	प्रशासनिक अधिकारी	9045450781
03.	श्री राजेन्द्र प्रसाद नौटियाल	योग प्रशिक्षक	9897732634
04.	श्री जगदम्बा ममगांई	प्रोग्रामर	8192865295
05.	श्री चन्द्र प्रकाश पाण्डेय	कैटलॉगर	9411111346
06.	श्रीमती अनिता	कम्प्यूटर ऑपरेटर	8267023788
07.	कु. दीपिका सजवाण	कम्प्यूटर ऑपरेटर	–
08.	श्रीमती कृष्णा देवी	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	–
09.	श्री भूपेन्द्र सिंह रावत	वाहन चालक	9837522142
10.	श्री विनोद सिंह	वाहन चालक	9012114032
11.	श्री गणेश गोदियाल	वाहन चालक	7351603947
12.	श्री पंकज पंत	अनुसेवक	8937903497
13.	श्री सुधार कुमार	अनुसेवक	8650356712
14.	श्री आशु कुमार	सफाई कर्मी	8958672610
15.	श्री अमित कुमार	सफाई कर्मी	9012730594
16.	श्रीमती रेखा	सफाई कर्मी	9917802997
17.	श्री प्रताप सिंह	गनमैन	9639414525
18.	श्री ब्रह्मकुमार शर्मा	सुरक्षाकर्मी	853296158
19.	श्री राम सिंह कठैत	सुरक्षाकर्मी	9557020364
20.	श्री सुमन्त कुमार	सुरक्षाकर्मी	9897132760
21.	श्री हूकुम सिंह	चौकीदार/सुरक्षाकर्मी	8755786674
22.	श्री चरण सिंह	माली	9760802780
23.	श्री नाथी राम	चौकीदार/सुरक्षाकर्मी	9557426248

योगाचार्य (एम.ए.) प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम

यूनिट 1	सामान्य ज्ञान
	समसामयिक जानकारियाँ
	सामान्य वितर्क (रिजनिंग)
	सामान्य योग्यता (एप्टीच्यूट)
	सामान्य संस्कृत
	सामान्य अंग्रेजी
	सामान्य गणित
यूनिट 2	भारतीय दर्शन की सामान्य जानकारियाँ
	योग के अर्थ एवं परिभाषा
	योग का इतिहास एवं परम्परा
	महान योगियों का जीवन परिचय
	योग के महत्वपूर्ण केन्द्र
	योग एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारियाँ
	मानव शरीर की सामान्य जानकारियाँ

प्रत्येक यूनिट में 50-50 प्रश्न होंगे।